वार्षिक 300/- रूपए
website : www.vhp.org

मूल्य 15 रूपए
कुल पृष्ठ - 28

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

हिन्दू विश्व

अगस्त 16-31, 2025

न्यायपालिका के दर्पण में
काँग्रेस की वास्तविकता

@eHinduVishwa
/HinduVishwa

विदिशा (म.प्र.) के रविन्द्र नाथ टैगोर ऑडिटोरियम में विश्व हिन्दू परिषद के तत्वावधान में आयोजित समरसता गोष्ठी को संबोधित करते विहिप सह संगठन महामंत्री श्री विनायकराव देशपाण्डे तथा कार्यक्रम में उपस्थित सर्वसमाज के बंधु/भगिनी

एडिलेड में आयोजित विश्व हिंदू आर्थिक मंच (डब्ल्यूएचईएफ) 2025 के एक चल समारोह में लंबे समय से कार्यरत कार्यकारी प्रतिनिधियों के चुनिंदा समूह को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

बाढ़ (पटना) स्थित सरस्वती विद्या मंदिर, गुलाबबाग में विहिप–दक्षिण बिहार की तीन दिवसीय प्रांत कार्यसमिति की बैठक के समापन समारोह को संबोधित करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी पराण्डे तथा बैठक में उपस्थित प्रांत पदाधिकारी व कार्यकर्ता

हिन्दू विश्व

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

16-31 अगस्त, 2025
भाद्रपद कृष्ण - शुक्ल पक्ष
पिंगल संवत्सर
वि. सं. - 2082, युगाब्द- 5127

सम्पादक
विजय शंकर तिवारी

सह सम्पादक
मुरारी शरण शुक्ल
मो. - 7217685539

परामर्शदाता
सर्वश्री राजेन्द्र शर्मा, धर्मनारायण शर्मा, विजय कुमार, रवि पराशर

व्यवस्थापक
श्री दूधनाथ शुक्ल
मो. - 09582555152

सज्जा
श्री महेश कुशवाहा

कार्यालय :
'हिन्दू विश्व'
संकटमोचन आश्रम, प्रभाग - 6
रामकृष्णपुरम्,
नई दिल्ली-110022-05
दूरभाष : 09582555152

011-26178992, 011-26103495
hinduvishwa@gmail.com

- : मूल्य :-

विदेशों के लिए वार्षिक डाक व्यय सहित	$ 75 USD
एक प्रति	15/-
वार्षिक	300/-
त्रिवर्षीय	750/-
पंचवर्षीय	1,200/-
दसवर्षीय	2,250/-
पन्द्रह वर्षीय	3,100/-

पत्रिका की सदस्यता हेतु क्यूआर कोड स्कैन करें, उसका स्क्रीन शॉट और अपना पता व्यवस्थापक को 9582555152 नम्बर पर भेजें।

वैधानिक सूचना
- 'हिन्दू विश्व' में प्रकाशित सामग्री लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक एवं प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- 'हिन्दू विश्व' से सम्बन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 महीने के अन्दर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में होंगे।

कुल पेज - 28

धनवान्, वीर, महाबलशाली, अपराजेय इन्द्रदेव को हम सहायतार्थ बुलाते हैं। सबसे महान्, यज्ञों में पूज्य इन्द्रदेव की स्तोत्रों द्वारा प्रार्थना करते हैं। वे वज्रधारी ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हमारे सभी मार्ग सुगम बनाएँ। आत्मशक्ति सम्पन्न हे इन्द्रदेव! आप राक्षसों से जीतकर लाये गये धन से स्तोताओं का संरक्षण करें और जो आपका आवाहन करते हैं, उनकी वृद्धि करें।

- अथर्ववेद

अच्छे नागरिकों से ही देश अच्छा और महान बनता है	07
पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है?	09
धर्मान्तरण! का जाल, गजवा-ए-हिन्द का ख्याल!	12
कट्टरपंथ के खिलाफ पढ़े-लिखे मुसलमानों की खामोशी के मायने	15
द रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकी संगठन घोषित, भारत की बड़ी जीत	17
कट्टरपंथ से डरा न्याय, तुष्टीकरण में फंसा देश	19
आहार में लाइए विविधता, रहिए स्वस्थ	21
न्यूज़ीलैंड की हिंदू काउंसिल द्वारा हिंदू हेरिटेज सेण्टर में वार्षिक आम बैठक...	22
ग्लोबल हिंदू में आजीवन योगदान.....	23
अवैध धर्मांतरणकारी गैंग को बचाने से बाज आए काँग्रेसी क्रिश्चियन गठजोड़....	24
विहिप प्रतिनिधि मण्डल की केन्द्रीय गृहमंत्री से भेंट	25
सभी हिन्दू सहोदर हैं यह संतों का उद्घोष है : श्री विनायक राव जी देशपांडे	26

सुभाषित

धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम्।
धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत।।

धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है, धर्म से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इस संसार में धर्म ही सार है। अतः शास्त्रोचित धर्म का पालन अवश्य करें।

न्यायपालिका के दर्पण में काँग्रेस की वास्तविकता

सम्पादकीय

विजय शंकर तिवारी

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। जब राजनीति अपने रास्ते से भटकती है, तब न्याय का मंदिर उसे सही दिशा दिखाने का कार्य करता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों और टिप्पणियों ने एक बड़ा और स्पष्ट संकेत दिया है–देश की सबसे पुरानी पार्टी काँग्रेस की वैचारिक और व्यवहारिक रीति–नीति राष्ट्रविरोधी, हिंदूविरोधी और सनातन विरोधी मानसिकता से ग्रसित रही है।

यह कोई एक–दो प्रसंगों तक सीमित नहीं है। पिछले दो दशकों में न्यायपालिका के समक्ष आए कई गंभीर प्रकरणों में यह सिद्ध होता गया है कि काँग्रेस ने सत्ता के लिए न केवल हिंदू समाज को बदनाम किया, बल्कि भारत की आस्था, परंपरा, सेना और संत समाज तक को लांछित करने में कोई संकोच नहीं किया। उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों और टिप्पणियों ने इन कृत्यों को न्यायिक कसौटी पर परखा और सत्य के पक्ष में उद्घोषणा की।

मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस और अन्य विस्फोटों के मामलों में जिस प्रकार संतों, साध्वियों और राष्ट्रसेवकों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, वह आज देश जानता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद जी, कर्नल पुरोहित – इन नामों के पीछे जो षड्यंत्र रचा गया, वह काँग्रेस की 'भगवा आतंकवाद' की थ्योरी का हिस्सा था। परंतु न्यायालय ने एक–एक कर इन सभी मामलों में काँग्रेस की साजिश को बेनकाब किया और निर्दोषों को न्याय दिलाया। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि काँग्रेस सत्ता के लिए संतों को भी बलि का बकरा बना सकती है।

श्रीराम जन्मभूमि प्रकरण में भी काँग्रेस ने स्पष्ट रूप से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को बाधित किया। "सबूत नहीं है कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे" जैसी बातें काँग्रेस के वकील अदालत में कहते रहे। वर्षों तक इस पावन आंदोलन को राजनीतिक और कानूनी जाल में उलझाने का प्रयास हुआ। परन्तु जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत निर्णय से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, तब सत्य की विजय हुई और काँग्रेस की असलियत उजागर हो गई।

उरी और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद काँग्रेस ने जिस प्रकार भारतीय सेना की कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। देश की सेना को झूठा सिद्ध करने का दुस्साहस काँग्रेस ने किया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार सेना और सरकार के कदमों को उचित और न्यायोचित बताया। न्यायपालिका की भाषा भले ही संयमित हो, पर उसका संदेश स्पष्ट था – "राष्ट्र की सेना पर विश्वास करो, उसे संदेह के कटघरे में मत खड़ा करो।"

काँग्रेस ने बार–बार संविधान की व्याख्या करते हुए धार्मिक परंपराओं पर प्रहार किया। चाहे वह सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा हो, या, गोसंरक्षण से जुड़ी नीतियाँ, काँग्रेस का रुख हमेशा सनातन संस्कृति के विरोध में रहा। परंतु जब न्यायालय ने धर्म और परंपरा के सम्मान की बात कही, तब यह स्पष्ट हुआ कि काँग्रेस का धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा दरअसल हिंदू विरोध का आवरण मात्र है। मालेगांव पर न्यायपालिका ने निर्दोषों को न्याय देकर केवल कानून नहीं, तो, भारत की चेतना की भी रक्षा की है। जब राजनीति धर्म, सेना, संत और समाज को विभाजित करने लगे, तब न्याय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और निर्णयों ने काँग्रेस की विचारधारा का वह चेहरा दिखा दिया है, जो लंबे समय तक ढंका हुआ था।

यह देश की आत्मा के पक्ष में न्याय की घोषणा है। यह संतों के मान–सम्मान, सेना के शौर्य, मंदिरों की गरिमा और सनातन संस्कृति की विजय है।

मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस और अन्य विस्फोटों के मामलों में जिस प्रकार संतों, साध्वियों और राष्ट्रसेवकों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, वह आज देश जानता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद जी, कर्नल पुरोहित – इन नामों के पीछे जो षड्यंत्र रचा गया, वह काँग्रेस की 'भगवा आतंकवाद' की थ्योरी का हिस्सा था। परंतु न्यायालय ने एक–एक कर इन सभी मामलों में काँग्रेस की साजिश को बेनकाब किया और निर्दोषों को न्याय दिलाया। इसरो बड़ा प्रमाण क्या होगा कि काँग्रेस सत्ता के लिए संतों को भी बलि का बकरा बना सकती है।

मालेगांव से मंथन तक सत्य की प्रतिष्ठा, साजिश की पराजय

प्रणय विक्रम सिंह

मालेगांव विस्फोट कांड में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत द्वारा सभी सातों आरोपियों को बरी किया जाना 'सत्यमेव जयते' का सिंहनाद है। यह निर्णय वह ऐतिहासिक क्षण है, जब सत्य, अन्याय के शोरगुल के पार खड़ा होकर घोषणा कर रहा है कि 'मैं पराजित नहीं, केवल प्रतीक्षित था।' यह निर्णय केवल अभियुक्तों की दोषमुक्ति नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र के शमन और सनातन पर हुए संदेह के संहार का उद्घोष है। यह उस सत्य की पुनर्प्रतिष्ठा है, जिसे कॉंग्रेस की कुटिल सत्ता ने साजिश, संदेह और सुनियोजित अपकीर्ति के अंधकार में कैद रखने का षड्यंत्र रचा था। यह कॉंग्रेस के उस चरित्र का पर्दाफाश है, जो सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए न्याय को कुचलने, राष्ट्र को कलंकित करने और साधु–सैनिकों की संपूर्ण साधना को अपमानित करने से भी नहीं हिचकिचाया। यह एक दुःसाहसी दुष्चक्र के ध्वंस का आरंभ है।

निर्दोषों की पीड़ा : साध्वी से सैनिक तक

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी समेत सभी अभियुक्त, ये वे नाम हैं, जिन्होंने वर्षों तक जेल की सलाखों के पीछे सत्ता की सनक की कीमत चुकाई। कठोर यातनाओं के चलते साध्वी प्रज्ञा का स्वास्थ्य चिरकालिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। साध्वी प्रज्ञा आज भी जब बोलती हैं, उनकी आवाज में वह पीड़ा झलकती है, जो एक राजनीतिक प्रहार और कूटनीतिक कारावास की परिणति है। एक महिला संन्यासिनी को हिंदू होने की सजा दी गई, उन्हें अदालतों में घसीटा गया, परिजन तोड़े गए, मनोबल मारा गया।

लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जो भारतीय सेना में आतंक–निरोधी अभियानों में सहभागी थे, देश के प्रति समर्पित फौजी थे, उन्हें बिना किसी ठोस साक्ष्य के 9 वर्षों तक सलाखों के पीछे रखा गया। इन सबकी पीड़ा, उनके मौन, उनकी कराह और समाज की चुप्पी, यह भारत के लोकतंत्र पर अनुत्तरित प्रश्नचिह्न की भांति अटक गई थी। आज निर्दोष साबित होने पर क्या कॉंग्रेस उनके खोए हुए सम्मान, जीवन के लुटे हुए वर्ष, और अपमानित अस्तित्व का प्रायश्चित कर सकती है? क्या कॉंग्रेस भारत की सभ्यता से यह कहेगी कि 'हाँ, हमने तुम्हें बदनाम किया, क्योंकि तुम्हारा भगवा हमें असहज करता था'? इस ऐतिहासिक निर्णय में जब विशेष अदालत ने स्पष्ट कहा कि "इन अभियुक्तों के विरुद्ध कोई विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका" तो यह केवल एक कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि कॉंग्रेस की वैचारिक विफलता का अभिलेख है।

भगवा पर षड्यंत्र का भार

2008 में मालेगांव विस्फोट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सत्ता की सियासत ने न्याय के विमर्श से हटा कर केवल एक राजनीतिक प्रयोगशाला बना डाला। जो भगवा युगों से त्याग, तपस्या और तेजस्विता का प्रतीक है, उसे आतंक का पर्याय ठहराने की कपटी कोशिश की गई। 'भगवा आतंकवाद' ये वो शब्द था, जिसे चुनावी लाभ के लिए कॉंग्रेस ने गढ़ा, मीडिया ने गाया और सियासत ने देश की आत्मा पर थोप दिया। इस जुमले में न केवल भाषा की मर्यादा टूटी, अपितु राष्ट्र की आत्मा भी आहत हुई। कॉंग्रेस की यह कुनीति कोई चूक नहीं

थी, यह एक सुविचारित साजिश थी, भारत की मूल चेतना को कलंकित करने का षड्यंत्र था। एक सोची–समझी रणनीति थी, जिसकी जड़ें देश के साँस्कृतिक मर्म को काटने के लिए बोई गई थीं। राहुल गाँधी ने अमेरिका के राजदूत से कहा था कि 'हिंदू आतंक लश्कर से भी बड़ा खतरा है।' क्या आज राहुल गाँधी और काँग्रेस राष्ट्र से क्षमा मांगेंगे?

योगी आदित्यनाथ की ललकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निर्णय को न केवल न्याय का उद्घोष कहा, बल्कि भारत विरोधी नैरेटिव के विध्वंस के रूप में देखा। 'मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना 'सत्यमेव जयते' की सजीव उद्घोषणा है। यह निर्णय काँग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसने "भगवा आतंकवाद" जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु–संतों और राष्ट्रसेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। काँग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए।' यह केवल मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं, देश की संवेदनशील आत्मा की स्वरबद्ध उद्घोषणा है, जो कह रही है 'अब और नहीं।'

निर्णय का समाज–राजनीति पर प्रभाव

यह निर्णय वामपंथी मानस को झकझोरेगा और काँग्रेस जैसे दलों को यह सोचने पर विवश करेगा कि वोटबैंक की राजनीति के लिए देश की सँस्कृति को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। अब काँग्रेस को जवाब देना होगा कि उसने राजनीति के लिए राष्ट्रीय अस्मिता को क्यों नीलाम किया? वह क्यों चुप रही जब निर्दोषों की यातनाएँ चीख रहीं थीं? वह क्यों धर्म के नाम पर न्याय को विभाजित कर रही थी? यह निर्णय 2024 के बाद काँग्रेस के वैचारिक ढांचे को और भी जर्जर करेगा।

यह फैसला मीडिया की उस प्रवृत्ति को भी कठघरे में खड़ा करता है, जो 'इल्जाम को ही इल्म समझती है।' खुद ही अदालत बन जाती है। TRP की दौड़ में बिना जांच–पड़ताल किए किसी भी व्यक्ति के सम्मान और चरित्र को कलंकित कर देती है। अब आम नागरिक भी पूछेगा कि क्या खबरों की हेडलाइनों के नीचे छुपा सच कभी मीडिया के गिरेबान में झांकेगा! वर्षों तक केस खिंचने के बाद यह फैसला एक बात स्पष्ट करता है कि सत्य को जितना भी दबाया जाए, वह अंततः उग आता है। यह भारतीय न्याय व्यवस्था की उस संवेदनशील दृढ़ता का प्रमाण है, जो राजनीति की छाया से परे है। अब 'सत्यमेव जयते' केवल शिलालेख नहीं, संघर्ष और संकल्प का सजीव संदेश है। यह उन सबके लिए चेतावनी है, जो सत्ता की साजिश में सत्य को दफन करना चाहते हैं, जो सनातन के प्रतीकों को अपराध की भाषा में ढालना चाहते हैं, जो राष्ट्र की संस्कृति को वोटबैंक की बलि चढ़ा देना चाहते हैं।

हरिद्वार भगदड़ के घायलों से मिले श्री चंपत राय

हरिद्वार, 28 जुलाई 2025। हरिद्वार के सुप्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर भारी भीड़ के कारण अचानक हुई भगदड़ की दुर्घटना में 8 श्रद्धालुओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र अयोध्या के महामंत्री एवं विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री चंपत राय ने उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री चंपत राय के उत्तराखण्ड प्रवास के समय, जब, उन्हें दुर्घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, तो, उन्होंने तत्काल विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री अजय कुमार के साथ एम्स ऋषिकेश पहुँच कर घायलों से मुलाकात कर, उनको हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। वहाँ उन्होंने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद दुख की घड़ी में शोकसंतप्त परिवारों एवं दुर्घटना में घायल परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की मांग भी की है।

इधर दुर्घटना में घायल जिन श्रद्धालुओं का उपचार जिला चिकित्सालय हरिद्वार में चल रहा है, उनसे मुलाकात करने स्वामी विष्णुदास महाराज परमाध्यक्ष उछाली आश्रम हरिद्वार के साथ बलराम कपूर जिला अध्यक्ष विहिप, जीवेंद्र तोमर जिला मंत्री, अमित मुल्तानिया जिला संयोजक बजरंग दल, नवीन तेश्वर प्रांत सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल उत्तराखण्ड, अंगद सक्सेना आदि अनेक प्रमुख कार्यकर्ता पहुंचे और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

pankajvhpharidwar108@gmail.com

अच्छे नागरिकों से ही देश अच्छा और महान बनता है

मुरारी शरण शुक्ल
सह सम्पादक हिन्दू विश्व

जिस देश के नागरिक अच्छे होते हैं, शीलवान, गुणवान, परिश्रमी, नैतिकता से युक्त, उच्च आचरण वाले, दूरदर्शी, समय पालन करने वाले, सभी कर्तव्यों का सम्यक निर्वाह करने वाले होते हैं, देश की साँस्कृतिक मर्यादा और कानूनों का पालन करने वाले होते हैं, व्यवहार कुशल, विनम्र, शिष्टाचारी, न्यायसंगत व्यवहार वाले, सेवाभावी, सकारात्मक सामाजिक सोच वाले, उंचे व्यक्तिगत व राष्ट्रीय चरित्र से युक्त, प्रमाणिक, आस्तिक, धर्म परायण और परिवार परक उच्चादर्शों का पालन करने वाले होते हैं, वह देश निश्चित ही अप्रतिम उंचाईयों को छू लेता है। भारत के समाज में व्यक्ति–व्यक्ति में ये गुण भरे गए थे प्रयत्न पूर्वक, इसीलिए भारत एक समय में समृद्ध व श्रीसम्पन्न था, सोने की चिड़िया कहलाता था।

नागरिकों के आचरण से भारत बना जगद्गुरु

अपने उच्चत्तर गुणों के कारण भारत दुनियाँ का मार्गदर्शन करने में सक्षम था, इसलिए जगद्गुरु कहलाता था। मंगोलिया के लोगों के कुलदेवता महाकाल थे, खान सरनेम लगाते थे और भारत को अपना गुरु मानते थे, इसलिए चंगेज खान और कुबलई खान जैसे पराक्रमी मंगोल योद्धाओं ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। चीन के लोग माओ–त्से–तुंग के सत्ता में आने तक भारत को अपना गुरु ही मानते थे। लगभग सभी बौद्ध देश भारत को अपना गुरु मानते थे, अभी के अधिकांश इस्लामिक देश भी 1400 वर्षों से पूर्व के काल में सनातन धर्मी नागरिकों वाले ही थे और भारत का गुरु के रूप में ही आदर करते थे। 2000 वर्षों पूर्व के इतिहास का अन्वेषण करने पर ईसाई देशों में सनातन धर्म की मान्यता के प्रमाण मिलते हैं और ऐसे में उनके द्वारा भारत के बारे में सोच की कल्पना सहज ही की जा सकती थी। यह आदर भारत को सम्पूर्ण विश्व में मिला, मिलता था, उसके नागरिकों के उच्चतम जीवनादर्शों के कारण। अपने नागरिकों के अद्भुत पुरूषार्थ–पराक्रम से भारत सभी दिशाओं में प्रभावी था, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टतम् था।

टैक्स चुकाना और समाज कल्याण के कार्य अर्थचक्र का अंग

जो भी व्यापारी और नागरिक अपने आय, सेवा और विक्रय का हिस्सा सरकार को कर के रूप में, जीएसटी इत्यादि के रूप में स्लैब के अनुरूप पूर्ण प्रमाणिकता से चुकाते हैं, तो देश की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को धन जुटाने में सहायक होते हैं। कर चुकाने से करदाता निर्भय होने के साथ अपनी पूरी व्यापारिक योग्यता कर बचाने में न लगाकर व्यापार को बढ़ाने में लगा पाते हैं। आपकी योग्यता व कुशलता का सकारात्मक उपयोग न केवल आपका, बल्कि देश की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। नागरिकों के टैक्स के पैसे से ही कारगिल युद्ध, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे विजय अभियान सम्भव हो

ज्ञान और धन बांटना देश की परम्परा

भारत की जनता आज भी उत्तम कोटी की है, उत्तमोत्तम बनने की सम्भावनाएँ भी उपलब्ध हैं। जीवन स्तर उच्च होने के साथ–साथ सोच और आचरण का व्याप भी बड़ा होना आवश्यक है। जैसे–जैसे आर्थिक–सामाजिक क्षमताएँ बढ़ती जाती है, व्यक्ति को अपनी सोच का दायरा बड़ा करते रहने की आवश्यकता है। हम ज्ञानी बनते हैं, तो हमारे ज्ञान का लाभ समाज को भी मिलना चाहिए। अधिक ज्ञानी हुए, तो इसका लाभ अधिक लोगों को मिलना चाहिए। इससे ज्ञानी का कलेवर भी बड़ा होता है और समाज का व्यापक लाभ भी होता है। ज्ञान को प्रसारित न करने को पाप समझा गया है, अपने देश में।

दान को धन की सर्वोत्तम गति कहा गया है, संचित धन को नाश का कारण माना गया है। धनवान की उपमा बादलों से दी गई है। कहा गया है कि जैसे बादल विपुल जल को रोककर नहीं रखते, बल्कि उमड़–घुमड़कर, देशभर में फैलकर बरसते हैं, सूखी धरती के एक–एक कण को अपने वर्षा जल से तृप्त करते हैं, वैसे ही धनवान और राजा को चाहिए कि मिलकर समाज के कष्ट, अभाव और दुखों को दूर करने का प्रयत्न करें। जैसे समुद्र से बादल बनता है, बादल से बरसने वाला जल छोटे–छोटे नदी नालों से बहते हुए बड़ी नदियों में जाता है और फिर समुद्र में समाहित होकर जलचक्र को पूर्ण करता है, वैसे ही धनिकों द्वारा समाज सेवा में लगाया गया धन, मंदिरों–तीर्थों–पर्वों–उत्सवों में खर्च किया गया धन, दान दिया गया धन, चैरिटी का धन, सोशल कार्पोरेट रिस्पोंशिबिलिटी का धन छोटे लोगों से छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी और उद्योगपतियों तक पहुँचकर अर्थचक्र को पूर्ण करता है। इस अर्थचक्र के नियमित संचालन से आर्थिक मंदी नहीं आती है, अर्थव्यवस्था शिथिल नहीं होता है। जहाँ भी अर्थचक्र टूटता है समाज में आर्थिक विषमता और हाहाकार उपजना आरम्भ हो जाता है। इसीलिए पुराने व्यापारी प्रतिदिन धर्मादा निकालते थे। नगर सेठ इत्यादि पदों का निर्माण इसी चिंतन की कड़ी का हिस्सा था।

पाते हैं। वैश्विक स्तर पर देश की व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। आपका देश बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगता है।

सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा नागरिक व्यवहार का अंग

सड़के हों, किसी भी विभाग का सार्वजनिक भवन हो, रेल–ट्रेन हो, या बसे हों, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनको विद्रूप नहीं करना, क्षतिग्रस्त नहीं करना यह बड़े महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य के काम हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति देश की सम्पत्ति है और यह हमारी और आपकी ही सम्पत्ति है, इसकी सुरक्षा करने से, अपने देश की सुरक्षा बढ़ती है, देश की सम्पत्ति का बचाव होता है, इससे देश के धन का अपव्यय नहीं होता है। देश की समृद्धि बढ़ती है।

कर्तव्यों के निर्वाह से अधिकारों की सुरक्षा

यदि हरेक व्यक्ति अपने–अपने नागरिक अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे, तो देश में तनाव आये दिन बढ़ता है, कटुता बढ़ती है, आपसी फूट और वैमनस्य पनपता है। इससे देश का अहित होता है, देश का नुकसान होता है। कई बार तो अधिकारों के संघर्ष में देश में हिंसा और आगजनी भी होने लगती है। लेकिन यदि सभी लोग अपने–अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने लग जाएँ, तो इससे एक–दूसरे के अधिकारों की रक्षा होने लग जाएगी और संघर्ष समाप्त हो जाएगा। कुछ अधिकार सरकारी व्यवस्था पर निर्भर अवश्य होते हैं, लेकिन उनकी भी जड़ें सामाजिक स्थितियों में ही होती हैं। यदि समाज का वातावरण कर्तव्य परायणता से परिपूर्ण हो, तो ऐसे बहुत से संघर्ष अप्रासंगिक हो जाएंगे।

छुआछूत और भेदभाव भी नागरिक कर्तव्यों से जुड़े हैं

यदि हमने इस्लामिक आक्रमणकारियों की भेद नीति को अपने व्यवहार का अंग न बनाया होता, अपने समाज के ही स्वजनों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार की आदत न लगाई होती, छुआछूत का व्यवहार न किया होता, तो आज सामाज में सामाजिक विषमता न होती। यह समस्या न होने से हिन्दू समाज का धर्मांतरण कर पाना भी सम्भव नहीं होता। भेदभाव और छुआछूत ने देश का बहुत नुकसान किया। इस भेदभाव का 1947 के विभाजन में भी बड़ी भूमिका थी। इस भेदभाव के कारण ही विभाजन के आंदोलन में मुस्लिम–हरिजन भाई–भाई का नारा दिया गया। और कुछ हिन्दू जातियों के मुसलमानों के सामर्थन में आ जाने से उनके अलग देश की मांग को बल मिला। ज्ञात हो कि पाकिस्तान के संविधान निर्माता योगेन्द्र नाथ मण्डल पाकिस्तान में इसी नारे के कारण रह गए थे। जिन लोगों ने मीम–भीम का आज नारा लगाया है, वो लोग भी अपने हिन्दू समाज के एक वर्ग की जनसँख्या और उसकी लोकतंत्र में ताकत का ध्यान रखकर ही यह कोशिश कर रहे हैं। यदि हमने समाज के लिए अपने उचित कर्तव्यों का ठीक से पालन करना आरम्भ कर दिया, तो समाज को तोड़ने वाले ऐसे किसी भी प्रयत्न को पराजित किया जा सकता है।

नागरिक कर्तव्यों के पालन से भ्रष्टाचार निवारण

यदि हम अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन करते हैं, तो अपने देश के नागरिकों से अपना निर्धारित कर्म करने के बदले ही रिश्वत लेने का चलन समाप्त हो जाएगा। हम अपने कर्तव्यों के पालन से बचते हैं और दूसरों के महत्व को कमत्तर करके आंकते हैं, अपनी नैतिकता को ताक पर रख देते हैं, तभी किसी का धन या प्रभाव के आधार पर पक्ष लेने लगते हैं और किसी की उपेक्षा और निरादर कर देते हैं। इसी कर्तव्य लोप के व्यवहार से भ्रष्टाचार पनपता है।

धर्म से पनपता है कर्तव्यबोध

यदि धर्म के तत्वों को जीवन में स्थापित किया जाए, महापुरुषों के जीवन का पठन–श्रवण किया जाए, उनका जीवन में अनुसरण किया जाए, तो सबका कर्तव्यबोध जागृत हो जाता है। धर्म के अभाव से अधर्म और भ्रष्टाचार पनपता है और फलता–फूलता है। लेकिन जिनके माता–पिता धर्म–परायण रहे हैं और घर में धर्म का वातावरण है, उनके कर्तव्य पारयण होने की सम्भावना बढ़ जाती है। जिनको कभी बाहर भी धर्म का वातावरण मिल जाता है, वो भी कर्तव्य परायण हो जाते हैं और देश–समाज के लिए अच्छा योगदान दे जाते हैं। सभी नागरिकों को कर्तव्यपरायण होना अत्यंत आवश्यक है, तभी देश का तेज गति से विकास सम्भव हो पाएगा।

murari.shukla@gmail.com

चोरी और छल देश का सत्यानाश करता है

टैक्स चोरी देश की आर्थिक क्षमता को नष्ट करता है। लोककल्याणकारी योजनाओं और विकास की परियोजनाओं को अवरुद्ध करता है। सरकारी खजाने में धन की पर्याप्त उपलब्धता सभी योजनाओं के कम समय में पूर्ण होने में सहायक होती है। लोग हुक टांगकर बिजली भी चोरी किया करते थे, इससे बिजली कम्पनियाँ तो कंगाल होती ही थी, बिना बिजली वाले गाँवों को बिजली युक्त करने का अभियान रूक जाता था, योजनाएँ अटक जाती थी। जनता का इस बारे में व्यवहार सुधरने से अब बहुत अंतर आया है। यद्यपि अभी भी सुधार की बहुत सम्भावनाएँ हैं। देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन गम्भीरता से करते हैं, तो विभागों के साथ–साथ देश की तस्वीर भी बदलने लगती है। लोग ट्रेन में बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्रा करते थे, कुछ लोग अब भी करते हैं, कुछ–कुछ रेल लाइन यात्रियों के ऐसे अनुचित व्यवहार के लिए बदनाम भी हैं। लेकिन बिना टिकट यात्रा के कारण रेलवे की पैसेंजर सेवा लम्बे समय तक में घाटा में रहती आई है। अब रेलवे की बढ़ती तत्परता और नागरिकों की बढ़ती नैतिकता के कारण परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उच्च कोटी की ट्रेनों और मेट्रो रेल इत्यादि सेवाओं में तकनीक के कारण यह चोरी रुकी। नैतिकता के कारण यदि यह चोरी पूर्णतः रुके और विभागों की सेवा परायणता भी बढ़े, तो स्थिति तेजी से बदल जाएगी। ज्ञात हो कि चोरी रोकने के लिए लगाई जाने वाली तकनीकी बहुत महंगी होती है और विभागीय घाटे को बढ़ाती है, यह सरकारी व्यय का अंग होता है। ये सारे व्यवहार, जो देश को प्रभावित करते हैं, नागरिक व्यवहार से जुड़े हुए हैं।

पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है ?

पंकज जगन्नाथ जायसवाल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच परिवर्तन व्यक्तियों, समाजों, व्यवसायों, निगमों और सरकारों के लिए मानवता और राष्ट्रीय एवं वैश्विक कल्याण के सभी पहलुओं में भारत की महानता को पुनर्स्थापित करने हेतु कार्य करने के लिए पाँच आवश्यक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये पाँच बिंदु हैं – 1. स्व बोध 2. पर्यावरण 3. सामाजिक समरसता 4. नागरिक शिष्टाचार 5. पारिवारिक प्रबोधन। यह लेख पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा करता है। भारत का प्रकृति के साथ शांतिपूर्वक रहने का एक समृद्ध इतिहास और अभ्यास रहा है। हमारे राष्ट्र की मूल्य प्रणाली में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ऐतिहासिक रूप से प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा सनातन धर्म का एक मूलभूत तत्व रही है, जो लोगों के दैनिक जीवन में अभिव्यक्त होती है और वैदिक साहित्य, लोककथाओं, धार्मिक मान्यताओं, कला और सँस्कृति द्वारा समर्थित है। 2000 साल से भी पहले भारतीय लोकाचार ने पारिस्थितिकी के कुछ आवश्यक विचारों जैसे कि सभी जीवों के अंतर्संबंध और परस्पर संबद्धता की कल्पना की और उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ, ईशावास्योपनिषद में प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है – 'परम शक्ति ने इस ब्रह्मांड की रचना अपनी सभी रचनाओं के कल्याण के लिए की है। परिणामस्वरूप प्रत्येक जीवित प्राणी को अन्य प्रजातियों के साथ घनिष्ठ संबंध में इस व्यवस्था का सदस्य होने के लाभों को प्राप्त करना सीखना चाहिए।' 'कोई भी प्रजाति दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती।' यह सतत विकास का एक प्रमुख सिद्धांत है। हम गैर–जिम्मेदार उपभोग का सहारा लिए बिना भी प्रगति, धन और कल्याण के समान स्तर तक पहुँच सकते हैं। इस दृष्टिकोण में भारत को अपने समृद्ध पारंपरिक अतीत और आधुनिकता के बीच एक 'समन्वय' बनाए रखना चाहिए और साथ ही हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करना है।

आज पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है ?

दुनियाँ की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत एक दोराहे पर खड़ा है। एक ओर आर्थिक विकास की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि लाखों लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विकास पर निर्भर हैं। दूसरी ओर प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने की सख्त जरूरत है। भारत में पर्यावरणीय समस्याएँ चिंताजनक गति से बढ़ रही हैं। ये पर्यावरणीय समस्याएँ गंभीर और व्यापक हैं, जिनमें दमघोंटू शहरी वायु प्रदूषण से लेकर व्यापक जल प्रदूषण और बढ़ता मृदा अपरदन शामिल है।

ये चुनौतियाँ न केवल लाखों भारतीयों के स्वास्थ्य और आजीविका को खतरे में डालती हैं, बल्कि दीर्घकालिक विकास और आर्थिक वृद्धि में भी बाधा डालती हैं। ये आय और सामाजिक असमानता को बढ़ाती हैं, जिससे लोग तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे उन शहरों में चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं, जहाँ विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे

का अभाव है। भारत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बहुत अधिक है और यह प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशील है। इसकी जनसँख्या और आर्थिक वृद्धि, दोनों ने पर्यावरणीय क्षरण में योगदान दिया है। विभिन्न सरकारों, समग्र समाज और नागरिकों को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए।

मृदा स्वास्थ्य खतरे में

संसदीय समिति के अध्ययनों के अनुसार रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो रही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पौटेशियम (एनपीके) उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग भारत की मिट्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। एनपीके के उपयोग का अनुशंसित अनुपात 4.2.1 है, लेकिन वास्तविक उपयोग 31.4.8.0.1 हो गया है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भी मृदा और मानव स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुँचा रहा है।

स्वास्थ्य संबंधी परिणाम

खराब मृदा स्वास्थ्य का कृषि उत्पादकता और खाद्य गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। मृदा से निकलने वाला रासायनिक अपवाह जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, जिससे जलीय वन्य जीवों को खतरा होता है। मृदा क्षरण कृषि स्थिरता और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालता है। कृषि में प्रौद्योगिकी जल दक्षता बढ़ाने और कृषि तकनीकों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद कर रही है। ड्रिप सिंचाई, परिशुद्ध खेती और जलवायु–प्रतिरोधी फसल प्रकार किसानों को बदलते मौसम के पैटर्न के अनुकूल होने और अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक खेती और टिकाऊ कीट नियंत्रण में प्रगति, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने में मदद कर रही है।

चिंताजनक जल प्रबंधन सूचकांक

नीति आयोग द्वारा प्रकाशित व्यापक जल प्रबंधन सूचकांक जल प्रबंधन प्रक्रियाओं की एक निराशाजनक तस्वीर

प्रस्तुत करता है। यह उचित जल संरक्षण और प्रबंधन उपायों की अनिवार्य आवश्यकता पर बल देता है।

जल संकट की चुनौतियाँ

भूजल का ह्रास और प्रदूषण जल सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और पानी का बेतहाशा उपयोग स्थिति को और बिगाड़ देता है। जलवायु परिवर्तन सूखे को बढ़ाता है और मीठे पानी की आपूर्ति को सीमित करता है।

समग्र जल नीतियों की आवश्यकता

स्थायी जल उपयोग के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन आवश्यक है। वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। जन जागरूकता पहल जल संरक्षण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

बदलाव के लिए जन प्रयास

जन मांग और जागरूकता राजनीतिक बहस को पर्यावरणीय मुद्दों की ओर मोड़ सकती है। पर्यावरण नीति परिवर्तन को आगे बढ़ाने में मतदाताओं का प्रभाव महत्वपूर्ण है।

'सतत विकास' का वास्तव में क्या अर्थ है ?

सतत विकास एक विकास प्रतिमान है, जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को जोखिम में डाले बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है–आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण। भारत जैसे विशाल जनसँख्या और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सतत विकास प्राप्त करने के लिए औद्योगीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

भारत के पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास

प्रधानमंत्री का वैश्विक संदेश – 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का नारा सामूहिक उत्तरदायित्व पर जोर देता है। ऐसी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के लिए घरेलू नीतिगत समन्वय आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) – भारत के 102 सबसे प्रदूषित शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू किया गया। अगले पाँच वर्षों के भीतर, इसका लक्ष्य पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के स्तर में 20–30 प्रतिशत की कमी लाना है।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) – खुले में शौच को कम करके और स्वच्छता को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार करता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और जल उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) – रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने वाली सतत कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करता है। प्राकृतिक संसाधनों और जैविक कृषि पद्धतियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) – एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्य योजनाएँ और रणनीतियाँ विकसित करता है। ऊर्जा दक्षता, जल, सतत आवास और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) – प्रदूषण कम करके और जैव विविधता को संरक्षित करके यह गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। यह जन भागीदारी, नदी तट विकास और सीवेज उपचार संयंत्रों पर केंद्रित है। भारत को एक ऐसे विकास पथ पर चलना होगा, जो पर्यावरणीय क्षरण को कम करते हुए जीवन स्थितियों में सुधार को प्राथमिकता दे। भारत कम से कम दो क्षेत्रों में नवाचारों के साथ इस क्षमता का लाभ उठा सकता है – ऊर्जा और संरक्षण।

निष्कर्ष

यद्यपि सरकार सतत विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन नागरिकों और व्यवसायों की भागीदारी भी आवश्यक है। व्यक्ति हरित जीवनशैली अपनाकर, जैसे कचरा कम करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, जल संरक्षण और ऊर्जा–कुशल वस्तुओं का उपयोग करके, स्थिरता को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं। टिकाऊ फैशन, पर्यावरण–अनुकूल उत्पादों और पादप –आधारित आहारों की बढ़ती लोकप्रियता, उपभोक्ताओं की रुचि में पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्पों की ओर रुझान को दर्शाती है।

भारत का सतत विकास की ओर संक्रमण एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आर्थिक विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार, निगमों और नागरिकों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, हरित प्रथाओं को लागू करके और सोच–समझकर निर्णय लेकर, भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकता है।

pankajjayswal1977@gmail.com

झुन्झुनू में बाल गंगाधर तिलक व चन्द्रशेखर आजाद जयंती मनाई गई

आज नगर युवा संघ झुन्झुनू द्वारा सूर्य विहार, वार्ड नं 22 में बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद की जयंती उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। इस अवसर पर अशोक प्रजापति ने बताया कि भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गाँव में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भारत की आजादी की लड़ाई में अनेक क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आजाद, जिनका नाम आज भी साहस और बलिदान का प्रतीक है। वह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे, जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। संदीप चावरिया ने बताया कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में बाल

गंगाधर तिलक का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने हमारे देश को अँग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे हिन्दुस्तान के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वे पहले लोकप्रिय नेता थे। इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और उन्होंने नारा दिया था, "स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे"।

sushilkumawat21@gmail.com

युवराज पल्लव

धर्मान्तरण! का जाल, गजवा-ए-हिन्द का ख्याल !

ईसा से छह शताब्दी पूर्व महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो धर्म की परिभाषा दी, उसमें अहिंसा, सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, दान, दया और शांति जैसे मानवतावादी शब्दों का समायोजन किया। वह परिभाषा है,

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
दानं दमो दया शान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्।

इसके विपरीत हम देखते हैं ईसा से छह शताब्दी बाद एक मजहब अस्तित्व में आया, जिसका संपूर्ण इतिहास हिंसा, क्रूरता, असत्यता, इंद्रियों की स्वच्छंदता से भरा पड़ा है और इन सबके परिणामस्वरूप संपूर्ण जगत में आज अशांति, हिंसा, क्रूरता का चारों तरफ बोलबाला है। दुनियाँ में कोई ऐसी जगह नहीं, जहाँ ऐसे मजहबी लोग हों और वहाँ वैमनस्य, आपसी अविश्वास न बढ़ा हो। उक्त मजहब में धर्म को लेकर ऐसी कोई परिभाषा भी नहीं दी गई। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ मजहबी जिहादी कट्टरता से ओतप्रोत लोगों की एक फौज खड़ी करना है, जो संपूर्ण विश्व में अन्य समस्त धर्म को और उसके मानने वालों को समाप्त कर दे। किताब आदेशित करती है 'फिर, जब पवित्र महीने बीत जाएँ, तो 'मुश्रिकों' (मूर्तिपूजकों) को जहाँ–कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो।' (कुरान मजीद, सूरा 9, आयत 5)

प्रश्न हो सकता है कब तक? तो किताब में ही जवाब है, जब तक वे (गैर मुस्लिम) अल्लाह पर यकीन न लाएँ और पैगंबर को अपना मसीहा मानकर नमाज अदा न करें। यानि जब तक वह मुसलमान न बन जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी सेक्युलरिज्म का ढोंग इतना अधिक है कि गलत को गलत कहने से बचना ही सबसे उचित व्यवहार बन गया है। इसकी कीमत आज बहुसँख्यक हिन्दू समाज को भुगतनी पड़ रही है। उनमें यह समझ ही विकसित नहीं हो पा रही, कि वे वास्तविक 'शत्रु' को पहचान सकें। इस 'शत्रु बोध' के अभाव के कारण वे पीर–फकीर के चक्कर में पड़ कर अपना, अपने परिवार का जीवन नर्क बना रहे हैं।

देश के 7 राज्यों से पिछले कुछ दिनों में धर्मान्तरण के जिन तिजारतदारों को पकड़ा गया है। इनमें से ज्यादातर 'लो प्रोफाइल' बन कर 'हाई–फाई' तरीके से 'मिशन धर्मांतरण' में लगे हुए थे। कोई फकीर का चोला ओढ़कर बैठा है, तो, कोई 'लव गुरु' बन दोस्ती की आड़ में हिंदू लड़कियों के दिल में जहर भर रहा है। इसे देखते हुए किसी समाजशास्त्री ने बहुत सही कहा है :–

दोस्तो!
इस दोस्ती की आड़ में,
कोई दुश्मन हो भी सकता है,

मजहब है, 'लव' की आड़ में
'जिहाद' भी हो सकता है,

किसी के माथे पे हर वक्त,
एक ही लेबल नहीं रहता,
ख्याल रहे, पीर फकीर भी
इंसानों का दलाल हो सकता है,

कभी चश्मा हटा कर देख,
आँखों से 'सेक्युलरिज्म' का,

जिसे तुम रहीम समझ रहे हो,
वो औरंगजेब भी हो सकता है,
मजहबी तास्सुबियत में डूबे हैं वो 'मीठे' लोग,
जिसे तुम 'रहबर' समझ रहे हो,
वो 'रहजन' हो भी सकता है।

पहलगाम हमले के बाद एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएँ सामने आयी हैं, वे डराने वाली हैं। कहीं पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाओं और उनके मुस्लिम बच्चों का बड़ा कुनबा भारत में रहता पकड़ा गया है, तो, कहीं भारतीय मुस्लिम महिलाओं जिनका निकाह पाकिस्तानी पुरुषों से हुआ है, वे भी अपने बच्चों सहित भारत में रह रही हैं। अब धर्मांतरण का बड़ा गठजोड़ बलरामपुर उत्तर प्रदेश से सामने आया है। जहाँ जलालुद्दीन उर्फ छांगुर 'पीर बाबा' भोले–भाले गरीब हिन्दुओं का धर्मांतरण धड़ल्ले से कर रहा था, जिसमें पुलिस प्रशासन से सांठगांठ उसकी सहायता करती थी।

स्पष्ट है इनका उद्देश्य येन–केन –प्रकारेण धर्मांतरण और अत्यधिक मुस्लिम दर द्वारा भारत को मुस्लिम बहुल कर इसे 'दार–उल– इस्लाम' में बदल डालना है, यही तो 'गजवा–ए –हिन्द' है। ध्यातव्य है, यही प्रतिबंधित संगठन पी एफ आई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) का घोषित लक्ष्य रहा है। 'गजवा–ए– हिन्द' एक इस्लामी विचार है जो भारत को, इसकी सँस्कृति, सभ्यता को नष्ट कर डालना चाहता है और भारत को इस्लामी साम्राज्य के अधीन लाने का अपना सपना पूरा करना चाहता है। सरकार ने 'गजवा–ए–हिन्द' से संबंधित संगठनों को तो प्रतिबंधित किया, लेकिन इस विचार को कैसे समाप्त किया जाए, इस पर कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनी है। राष्ट्रीय नीति तो बाद की बात है, इस विचार पर ही कोई सहमति हो ऐसा भी दिखाई नहीं देता। हमें ध्यान रखना चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने धर्मांतरण के खतरे को पहचाना था और कहा था–एक हिन्दू का धर्मान्तरण केवल एक हिंदू का कम होना नहीं, बल्कि एक शत्रु का बढ़ना है।

जब तक वे (गैर मुस्लिम) अल्लाह पर यकीन न लाएँ और पैगंबर को अपना मसीहा मानकर नमाज अदा न करें। यानि जब तक वह मुसलमान न बन जाए। लेकिन अफसोस की बात है इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद सेक्युलरिज्म का ढोंग इतना ज्यादा है कि गलत को गलत कहने से बचना ही सबसे उचित व्यवहार बन गया है। इसकी कीमत आज बहुसँख्यक हिन्दू समाज को भुगतनी पड़ रही है। उनमें यह समझ ही विकसित नहीं हो पा रही, कि वे वास्तविक 'शत्रु' को पहचान सकें।

इसी क्रम में आगरा की दो सगी बहनों की पश्चिम बंगाल से बरामदगी ने इससे भी बड़े नेक्सस को बेनकाब किया है। इसके तार भी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के कथित 'पीर बाबा' जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से जुड़ रहे हैं। इसके साथ इस नेक्सस के तार विदेशों से जुड़े मिले हैं। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि 'धर्मांतरण की यह साजिश भारत के कई राज्यों के साथ–साथ नेपाल, भूटान और कश्मीर, सिलीगुड़ी तक फैली हुई थी'। विदेशों से मिलने वाली अथाह धन राशि के द्वारा जिस प्रकार गैर मुस्लिम खासकर हिन्दू लड़कियों का ब्रेनवॉश कर उनका धर्मांतरण कर उन्हें जिहादी बनाया जा रहा था, वह बहुत ही खतरनाक है। पकड़े गए आरोपियों का कहना है कि हजार–हजार मुस्लिम लड़कों की फौज तैयार की जा रही थी, जो हिन्दू लड़कियों से प्रेम की पींगे बढ़ाकर उनका ब्रेनवॉश कर उन्हें उनके धर्म, परिवार के प्रति घृणा पैदा करते थे। जो नहीं मानती थी, उनके साथ दुष्कर्म कर उनकी वीडियो बनाई जाती थी और फिर उन्हें डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। इतना ही नहीं इसके

बाद उसके द्वारा उसके परिवार को धर्म परिवर्तित करने का दबाव बनाया जाता था। यदि कोई लड़की इस गिरोह से निकलने का प्रयास करती, तो, उसे खाड़ी देशों में बेच दिया जाता था। इस प्रकार यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप से काम कर रहा था।

एक अन्य मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान कुरैशी उर्फ महेंद्र पाल जादौन के नेतृत्व में यह नेटवर्क 'मिशन अस्मिता' जैसे अभियान के नाम पर लड़कियों को निशाना बना रहा था। यह मामला सिर्फ आगरा या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, बल्कि देश–विदेश में फैले इस संगठित धर्मांतरण रैकेट की परतें धीरे–धीरे खुल रही हैं। सामने आया है कि अवैध धर्मांतरण का पूरा गिरोह हाईटेक तरीके से युवतियों को अपने जाल में फंसा रहा था। कोई 12वीं फेल होकर भी कम्प्युटर की 12 भाषाएँ जानता है। कोई फर्राटेदार अँग्रेजी बोल रहा है। कोई महंगे हाइटेक मोबाइल लिए है, महंगी गेमिंग एप पर हिन्दू लड़कियों से दोस्ती गढ़ी जा रही है।

ये जिहादी फर्जी नाम से सोशल आईडी बनाते और गेमिंग, चैटिंग एप का प्रयोग करते थे। क्योंकि इन एप का सर्वर विदेशों में होता है, इसलिए न तो कॉल रिकॉर्ड हो पाती है, न ही लोकेशन मिल पाती है। चैटिंग का भी कोई डाटा नहीं मिल पाता है। एक बार बातचीत शुरू होने पर ये जिहादी अपने मजहब का साहित्य सांझा करते थे। चैटिंग और वीडियो के माध्यम से उनका ब्रेनवॉश कर दिया जाता था। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला है कि 'धर्मांतरण कराने के बाद हर किसी को अपनी इंस्टाग्राम पर आईडी बनानी होती थी। नाम के बाद 'रिवर्ट' लिखना जरूरी होता था। इससे उनकी एक अलग पहचान बन जाती है।' पुलिस की जांच जारी है और कई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आने की संभावना है।

धृष्टता की पराकाष्ठा यह है कि इन हिन्दू लड़कियों से प्यार का नाटक करने और उनका धर्मांतरण कराने की कीमत पहले ही तय होती है। जो उनकी जाति और सामाजिक प्रतिष्ठा से तय होती है। यानी यह सब एक संगठित धंधा बन चुका है। इन मजहबी तिजारतदारों ने आज की लैलाओं के रेट तय कर रखे हैं। एक से निकाह और प्यार की दुनियाँ बसाने के बाद दूसरी से इश्क और ऐसा ही क्रम चलता है। इस पर साहिर लुधियानवी का एक गीत याद आती है जो कहता है, 'जब भी जी चाहे, नई दुनियाँ बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे, लगा लेते हैं लोग, अब मुहब्बत भी है क्या, इक तिजारत के सिवा।' ध्यातव्य है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। मजहब के लोगों पर इस तरह के आरोप दशकों से लगते रहे हैं। लेकिन सेक्युलरिज्म की घुट्टी ऐसी पिलाई गई है कि जब तक आग हमारे अपने घर तक नहीं पहुँचती, तब तक हमें शहर की आग दिखाई नहीं देती।

अभी भी समय है, हमें बाबा साहेब डॉ. भीम राव रामजी आंबेडकर की बात को गहराई से समझना होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने हिंदू–मुस्लिम एकता के विचार को एक भ्रम माना और सेकुलरवाद की बातों को व्यर्थ बताया। उनका मानना था कि हिंदू–मुस्लिम समस्या की जड़ में मजहबी कट्टरता है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 'इस्लाम का भाईचारा, मुसलमानों का केवल मुसलमानों के लिए भाईचारा है और यह सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है।' उन्होंने मुसलमानों के राजनीतिक व्यवहार की आलोचना की और उन पर 'राष्ट्रीय एकता की बजाय मजहबी पहचान को प्राथमिकता' देने का आरोप लगाया।

yuvrajpallav21@gmail.com

अशोकनगर में नगर प्रखंड समिति वर्ग संपन्न

विहिप नगर प्रखंड समिति वर्ग विहिप कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें 10 खंडों, 37 समितियों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वर्ग का संचालन जिला मंत्री सुशील शर्मा द्वारा किया गया। विश्व हिन्दू परिषद के नगर प्रखंड का समिति सम्मलेन जिला कार्यालय पर सम्पन्न हुआ, जिसमें खंड व मोहल्ला समिति के कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर तीन सत्रों के सम्मलेन में विहिप की स्थापना, विहिप के कार्यक्रम, संगठन का विस्तार, राष्ट्र व हिन्दू समाज की चुनौतियाँ और उनसे निपटने के उपाय आदि पर विस्तृत चर्चा सम्मलेन में हुई। आने वाले समय में समिति स्तर पर विहिप का स्थापना दिवस मनाने का संकल्प, राष्ट्र, सँस्कृति व पर्यावरण के लिए कार्य करने का संकल्प डॉ. दीपक मिश्रा प्रान्त धर्म प्रसार प्रमुख द्वारा दिलाया गया। 30 नवीन सत्संग प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया।

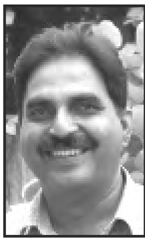

कट्टरपंथ के खिलाफ

पढ़े-लिखे मुसलमानों की खामोशी के मायने

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार

भारत में धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में लव जिहाद, आतंकवाद, धर्मांतरण और गजवा–ए–हिन्द जैसे मुद्दों ने इस सामाजिक ताने–बाने को गंभीर चुनौती दी है। विशेषकर हिंदू समाज और बेटियों के माता–पिता के मन में भय गहरा होता जा रहा है। लव जिहाद शब्द सबसे पहले 2009 में केरल और कर्नाटक पुलिस की जांच में सामने आया। बाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए कानून भी बनाए। 2020 में उत्तर प्रदेश में बना कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शादी के नाम पर जबरन धर्मांतरण करता है, तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। यूपी के बलरामपुर में ऐसा ही एक मौलाना पकड़ा गया, जो हिन्दू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के सहारे बरगलाने का सिंडिकेट चला रहा था। इसने हिन्दू लड़कियों के धर्मांतरण के लिये उनकी जाति के अनुसार रेट तक फिक्स कर रखे थे।

धर्मांतरण का मुद्दा ऐतिहासिक रूप से भी विवादास्पद रहा है। 1920 में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, ताकि जबरन या धोखे से धर्मांतरण करने वालों को फिर से हिंदू धर्म में लाया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि यह स्वतंत्रता जबरन या धोखे से किए गए परिवर्तन पर लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में रतन लाल केस में कहा था कि धर्म परिवर्तन तभी वैध है, जब वह पूरी तरह स्वेच्छा से हो। बात गजवा–ए–हिन्द की कि जाए तो इसकी अवधारणा का जिक्र 13वीं सदी की इस्लामी किताबों में मिलता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2003 में एक इंटरव्यू में कहा था, भारत को कमजोर करने के लिए कश्मीर से शुरू करके पूरे भारत में जिहाद फैलाना हमारी रणनीति का हिस्सा है। इसी तरह हाफिज सईद ने भी कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमारा अंतिम लक्ष्य गजवा–ए–हिन्द है।

केरल के प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना कनीमैय्यून ने 2020 में एक टीवी डिबेट में कहा था, इस्लाम में किसी भी तरह का जबरन धर्मांतरण हराम है। लेकिन समाज के भीतर कट्टरपंथी सोच इतनी गहरी हो गई है कि लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे समाज में सुधार की सबसे बड़ी जरूरत है। जब तक हम कट्टरपंथ के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक मुसलमानों की छवि सुधर नहीं सकती। सुप्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुस्लिम समाज के भीतर सुधार की आवाज उठाने वालों को गद्दार कहकर चुप कराया जाता है। जब तक मुस्लिम समाज खुद सामने आकर कट्टरपंथ को नकारेगा नहीं, तब तक महिलाएँ और लड़कियाँ सबसे ज्यादा पीड़ित रहेंगी।

कई बार वीडियो और संदेश वायरल होते हैं, जिनसे समाज में भय फैलता है। कुछ मामलों में यह सच भी निकलता है, जैसे कि कर्नाटक की एक छात्रा के केस में, जहाँ लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में उसे विदेश भेजने की साजिश रची गई। इन तमाम घटनाओं और ऐतिहासिक संदर्भों के बीच पढ़े–लिखे मुसलमानों और बुद्धिजीवियों की खामोशी हिंदू समाज में भय और असुरक्षा की भावना को और बढ़ा देती है। खासकर बेटियों के माता–पिता को लगता है कि उनकी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान अब खतरे में है।

कई सर्वे और रिपोर्ट बताते हैं कि 2021 में हुए एक सर्वे में लगभग 60 फीसदी हिंदू माता–पिता ने कहा कि वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने से डरते हैं। वजह यह कि कहीं उनकी बेटियाँ कथित प्रेमजाल में

फँसकर जबरन धर्म परिवर्तन न कर लें। धर्मांतरण के मामलों में भी कई दर्दनाक उदाहरण सामने आए हैं। 2017 में केरल की हदिया केस में जबरन धर्मांतरण और शादी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। हदिया ने बाद में अदालत में कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला, लेकिन एनआईए की रिपोर्ट में कई संदिग्ध नेटवर्क के लिंक सामने आए। इस तरह की वारदातों पर मुस्लिम समाज के पढ़े–लिखे वर्ग की खामोशी पर दिल्ली के मौलाना वहीदुद्दीन खान ने कहा था, मुसलमानों को चाहिए कि वे साफ–साफ कहें कि वे कट्टरपंथ के साथ नहीं खड़े हैं। अगर आप चुप रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं।

इतिहास में भी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। औरंगजेब के काल में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया और हजारों मंदिर तोड़े गए। जबकि अकबर ने दीन–ए–इलाही जैसी नई धार्मिक विचारधारा के जरिए सहिष्णुता का संदेश दिया। यह ऐतिहासिक घटनाएँ आज भी समाज में अविश्वास की जड़ें मजबूत करती हैं। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचारों का प्रचार भी एक बड़ा कारण है। कई बार वीडियो और संदेश वायरल होते हैं, जिनसे समाज में भय फैलता है। कुछ मामलों में यह सच भी निकलता है, जैसे कि कर्नाटक की एक छात्रा के केस में, जहाँ लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में उसे विदेश भेजने की साजिश रची गई। इन तमाम घटनाओं और ऐतिहासिक संदर्भों के बीच पढ़े–लिखे मुसलमानों और बुद्धिजीवियों की खामोशी हिंदू समाज में भय और असुरक्षा की भावना को और बढ़ा देती है। खासकर बेटियों के माता–पिता को लगता है कि उनकी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान अब खतरे में है।

भारत में आतंकवाद की घटनाओं ने न सिर्फ देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी गहरा आघात पहुँचाया है। 2001 में संसद पर हुआ हमला भारत के लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाने की साजिश थी, जबकि 2008 के मुंबई हमले में आतंकियों ने आम नागरिकों को बंधक बनाकर देश की आर्थिक राजधानी को दहला दिया। 2016 के उरी हमले में सेना के 19 जवान शहीद हुए और 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत ने देश को झकझोर दिया। सबसे हालिया 22 अप्रैल 2025 को जम्मू–कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी नरसंहार ने इस खतरनाक मानसिकता की पराकाष्ठा दिखा दी। पहलगाम में आतंकियों ने यात्रियों की धर्म के आधार पर पहचान की और 26 निर्दोषों, जिनमें 25 हिंदू और एक ईसाई शामिल था कि निर्मम हत्या कर दी, जबकि एक स्थानीय मुस्लिम गाइड ने कई लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई। इन घटनाओं के बाद देशभर में आक्रोश की लहर उठी, लेकिन एक बार फिर पढ़ा–लिखा मुसलमान वर्ग और तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवी चुप रहे। उनकी यह खामोशी समाज में अविश्वास को और गहरा करती है और यह सवाल उठता है कि जब आतंकवाद इस हद तक इंसानियत का गला घोंट रहा हो, तब क्या चुप रहना भी कहीं न कहीं उस अपराध की मौन स्वीकृति नहीं है?

लब्बोलुआब यह है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन इस विविधता को बचाने के लिए जरूरी है कि मुस्लिम समाज का पढ़ा–लिखा वर्ग और बुद्धिजीवी खुलकर बोलें। उन्हें यह बताना होगा कि लव जिहाद, आतंकवाद और जबरन धर्मांतरण इस्लाम के खिलाफ है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो, समाज में अविश्वास और भय की खाई और गहरी होती जाएगी। यह समय चुप्पी साधने का नहीं है, बल्कि सच के साथ खड़े होकर कट्टरपंथ का विरोध करने का है।

skslko28@gmail.com

'सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है : मिलिंद परांडे'

बाढ़ (पटना)। आज बाढ़ स्थित सरस्वती विद्या मंदिर, गुलाबबाग में विश्व हिंदू परिषद, दक्षिण बिहार की तीन दिवसीय प्रांत कार्य समिति की बैठक का समापन हुआ। दक्षिण बिहार के 24 जिले के जिला अध्यक्ष, मंत्री, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, धर्म प्रसार व सेवा विभाग ऐसे अनेक आयाम के लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य डा. आर. एन. सिंह जी ने बताया कि विश्व हिन्दू परिषद ने अपने 60 वर्षों की यात्रा में अनेक आंदोलन, अनेक जन जागरण अभियान के माध्यम से करोड़ों लोगों को हिंदुत्व के भाव से जोड़ा है। विहिप राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद देश के अनेक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे जी ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि आज अपना कार्य सात्विक प्रेम के आधार पर खड़ा है। विहिप का कार्य कार्यकर्ता स्व की प्रेरणा से करता है। देश व धर्म के लिए समर्पण हमारे हृदय में चाहिए। उन्होंने पंच परिवर्तन विषय पर जोर देते हुए कहा पंच परिवर्तन पहले स्वयं के व्यवहार में आना चाहिए फिर समाज में। कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्व का बोध, अच्छे नागरिक का कर्तव्य। ये पंच परिवर्तन के सूत्र हैं। मतदान करना, ट्रैफिक नियम का पालन, समय से टैक्स जमा करना, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, जल संरक्षण, अपने देश व अपनी संस्कृति के मर्यादा के अनुसार जीवन जीना जैसे अनेक बातों की ओर हम सबको अधिक ध्यान देना है।

ललित गर्ग

द रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकी संगठन घोषित

भारत की बड़ी जीत

पहलगाम में जब आतंकी हमले में निर्दोषों का रक्त बहा, आहें एवं चीखें गूंजी, जिसने न केवल देश एवं दुनियाँ को झकझोर दिया था, बल्कि यह संकेत भी दे दिया कि आतंकवाद की जड़ें अब भी जीवित हैं और उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और सीमा–पार समर्थन प्राप्त है। लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तनकारी एवं प्रासंगिक कदम अमेरिका की ओर से सामने आया है, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर–ए–तैयबा की मुखौटा इकाई द रेजिस्टेंट फ्रंट (टीआरएफ) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया, इस तरह टीआरएफ की पहचान और आतंक के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता का नया अध्याय लिखा गया है। यह कदम केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि आतंक के विरुद्ध वैश्विक मंच पर एक रणनीतिक संदेश है कि अब छद्म युद्ध और पनपते आतंक के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही का युग आ गया है। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास इस बात के द्योतक हैं कि आतंकवाद से निपटने के मोर्चे पर भारत सफल हो रहा है। अमेरिका के इस फैसले ने न सिर्फ टीआरएफ के आतंकी चेहरे को बेपर्दा किया है बल्कि पाकिस्तान की उन नापाक हरकतों को भी बेनकाब कर दिया, जिन्हें वह खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर छिपाता आ रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे भारत–अमेरिका के बीच मजबूत आतंकवाद–रोधी सहयोग का प्रमाण बताया है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग की जरूरत पर बल दिया है।

टीआरएफ दिखने में एक स्थानीय कश्मीरी संगठन होने का भ्रम देता है, लेकिन असल में यह लश्कर–ए–तैयबा और उसके सरगना हाफिज सईद की पुरानी साजिश का नया चेहरा है। पाकिस्तान–समर्थित आतंकी संगठनों को नया नाम एवं नये रूप में प्रस्तुत करना पाक की एक साजिश एवं सोची–समझी रणनीति है, ताकि दुनियाँ के सामने वह अपने दामन को पाक–साफ दिखा सके। एक और विडम्बनापूर्ण स्थिति यह है कि पाक ने इसे इस तरह पेश किया, जैसे, यह कश्मीर का स्थानीय संगठन हो। यह जग जाहिर है कि कई बड़े आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती से संचालित किए जा रहे हैं। इनमें लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए–मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिद्दीन प्रमुख हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार ये सवाल उठे और पाक को आतंक पोषित स्वीकार्य किया जाने लगा। उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने रणनीति बदली और आतंकी संगठनों के नाम भी बदलने शुरू कर दिए। टीआरएफ इसका एक उदाहरण है। इसका गठन 2019 के अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद हुआ और इसका उद्देश्य भारत में आतंकी घटनाओं को 'स्वदेशी विद्रोह' की आड़ में अंजाम देना है। पहलगाम हमला भारत के उस प्रयास को चुनौती देता है, जो वह 'पर्यटन और विकास के माध्यम से कश्मीर को मुख्यधारा में लाने' के लिए कर रहा है। जब भी कश्मीर में शांति की बहार आती है, ऐसे आतंकी संगठन हिंसा का तूफान लेकर आते हैं। टीआरएफ ने सोशल मीडिया, इंटरनेट और कूटनीतिक शब्दजाल का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को 'कश्मीरी प्रतिरोध आंदोलन' के रूप में पेश करने की कोशिश की, जबकि उसके तार रावलपिंडी और आईएसआई के

आतंकवाद समर्थन तंत्र से सीधे जुड़े हैं। मगर अमेरिका की ओर से इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना इस बात का सबूत है कि आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के इरादों को किसी छद्‌म नाम की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता।

अमेरिका द्वारा टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना भारत की एक बड़ी राजनयिक एवं कूटनीतिक सफलता है। यह दिखाता है कि भारत की तीक्ष्ण एवं ताकतवर विदेश नीति अब केवल घटनाओं की निंदा तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण की रणनीति पर आधारित है। जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्तावों को भी बल देती है। भारत पाकिस्तान–प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध वर्षों से चेतावनी देते हुए दुनियाँ को आतंकमुक्त बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर विभिन्न देशों को आतंक के खिलाफ एकजुट करने के प्रयास तेज किये हैं। ऐसे में अमेरिका पर भी यह साबित करने का दबाव बना है कि वह आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड न अपनाये। क्योंकि अमेरिका का दोगलापन चर्चा में रहा है, एक तरफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का दावा करता है तो दूसरी ओर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक से बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में दी जाती है। एक तरफ राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान को लेकर अपने नरम रुख का इजहार भी करते रहते हैं। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का ढुलमुल रवैया भी हैरान करने वाला है। सवाल यह है कि जब अमेरिका यह मानता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल–पोस रहा है, तो वह वैश्विक संस्थाओं से उसे वित्तीय मदद रोकने की वकालत क्यों नहीं करता है ?

ऑपरेशन सिंदूर में पाक को करारी मात देने के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनियाँ में वातावरण बनाने के लिये तत्पर हुआ। आतंक के खिलाफ

इस लड़ाई को मजबूती देने के लिये ही भारत ने अमरीका समेत 32 देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे। इन देशों को पुख्ता सबूतों के साथ बताया गया कि टीआरएफ पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर–ए–तैयबा का मुखौटा संगठन है। संभवतः भारत के यही प्रयास इस संगठन के खिलाफ अमरीका के सख्त फैसले का आधार बनी। अमरीका ने इससे पहले 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित किया था। पाकिस्तान इन दोनों संगठनों की तरह टीआरएफ को भी भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। निश्चित ही अमेरिका की यह ताजा कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन भारत को अब केवल प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कमर कसते हुए निर्णायक प्रक्रिया दिखानी चाहिए। उसे सीमा पार सर्जिकल/ड्रोन स्ट्राइक की नीति को और मजबूत करना चाहिए। आतंकी समर्थकों की फंडिंग रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों की मांग करनी चाहिए। घरेलू स्तर पर खुफिया तंत्र और साइबर निगरानी को और सक्रिय एवं आधुनिक बनाना चाहिए। वैश्विक मंचों पर एफएटीएफ, यूएन और जी 20 जैसे संगठनों में पाकिस्तान की आतंक–समर्थक भूमिका को बार–बार उजागर करना चाहिए।

आज आवश्यकता है कि दुनियाँ के सभी लोकतांत्रिक और शांति–प्रिय राष्ट्र एक मंच पर एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टोलरेंस पॉलिसी अपनाएँ। किसी भी राष्ट्र को–चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, आतंकियों की शरणस्थली बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना पहला कदम है, अब इसकी जड़ों को नष्ट करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। पाकिस्तान सरकार, सेना और आतंक के नापाक गठजोड़ पर जब तक सभी देश एकमत नहीं होंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुँचेगी। सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान आतंकी संगठनों का खुलेआम समर्थन करता रहता है, तो उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में डालने से परहेज क्यों किया जा रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि अमरीका के ताजा कदम के बाद एफएटीएफ और दूसरी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ टीआरएफ की फंडिंग की जांच करेंगी।

पहलगाम का हमला एक बार फिर हमें चेतावनी देता है कि आतंकवाद केवल सुरक्षा का संकट नहीं, बल्कि सभ्यता, शांति और मानवता का अपमान है। हमें अब शब्दों से आगे बढ़कर संकल्प और कार्यवाही की ओर बढ़ना होगा। भारत को अब केवल प्रतिकार नहीं, बल्कि निर्णायक प्रहार की नीति अपनानी चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी एक ऐसे भारत में सांस ले सके, जहाँ 'कश्मीर' केवल खूबसूरती का पर्याय हो, आतंक का नहीं। भारत को वैश्विक मंचों पर टीआरएफ को बेनकाब करने की मुहिम जारी रखनी चाहिए, ताकि इस संगठन को फिर फन उठाने का मौका न मिले।

lalitgarg11@gmail.com

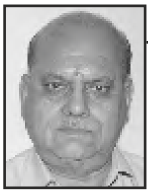

अजय कुमार

कट्टरपंथ से डरा न्याय, तुष्टीकरण में फंसा देश

> **कन्हैया लाल की हत्या का जो वीडियो सामने आया था, वह किसी भी सभ्य समाज की आत्मा को झकझोरने के लिए काफी था। दो युवक रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद उसकी दुकान में ग्राहक बनकर दाखिल होते हैं और धारदार हथियार से उसका गला रेत देते हैं। न सिर्फ यह कृत्य किया गया, बल्कि उसका प्रचार भी किया गया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और घोषणा की गई कि यह हत्या 'नबी के अपमान' के जवाब में की गई है। यह वही कट्टरपंथी विमर्श था, जो सर तन से जुदा के नारे लगवाता है। इसके बावजूद यह मुकदमा आज भी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुँचा है।**

उदयपुर फाइल्स' पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक ने एक बार फिर भारत की न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था की रीढ़ पर सवाल खड़ा कर दिया है। यह फिल्म 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली की नृशंस हत्या पर आधारित है। एक दर्जी की हत्या, जो केवल एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हुई और वह पोस्ट भी उसका नहीं था, उसका 8 वर्षीय बेटा गलती से उसे फॉरवर्ड कर बैठा था। इस पूरी त्रासदी को तीन साल हो गए, लेकिन इंसाफ अब तक अटका हुआ है। वहीं उस पर बनी फिल्म को कोर्ट ने तीन दिन में रोक दिया। क्या यह विरोधाभास नहीं है ? फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली थी। 150 से अधिक कट्स लगाए गए। धार्मिक स्थलों और संगठनों के नाम हटाए गए, नूपुर शर्मा का नाम हटाया गया। पूरी कोशिश की गई कि किसी समुदाय को आहत न किया जाए, फिर भी विरोध हुआ और विरोध भी किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि जमीयत उलेमा–ए–हिंद नाम की उस संस्था ने किया, जिसकी पृष्ठभूमि खुद विवादों से भरी पड़ी है। कोर्ट ने ट्रेलर और याचिका के आधार पर फिल्म पर अंतरिम रोक लगा दी और केंद्र से रिपोर्ट मांग ली।

जमीयत उलेमा–ए–हिंद पिछले दो दशकों में 700 से अधिक आतंकवाद के आरोपियों को कानूनी मदद दी है। 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, 26/11 का मुंबई हमला, मालेगांव विस्फोट, वाराणसी सीरियल धमाके, दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट, अहमदाबाद बम धमाके जिन घटनाओं ने पूरे देश को दहला दिया, जिनमें सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारे गए, उनमें भी यह संस्था आतंक के आरोपियों की तरफ खड़ी दिखी। कोर्ट में उनके पक्ष में बहस करने के लिए वकील खड़े किए गए, हर कानूनी रास्ता उन्हें राहत दिलाने के लिए अपनाया गया। उत्तर प्रदेश में अल–कायदा के दो संदिग्ध आतंकियों

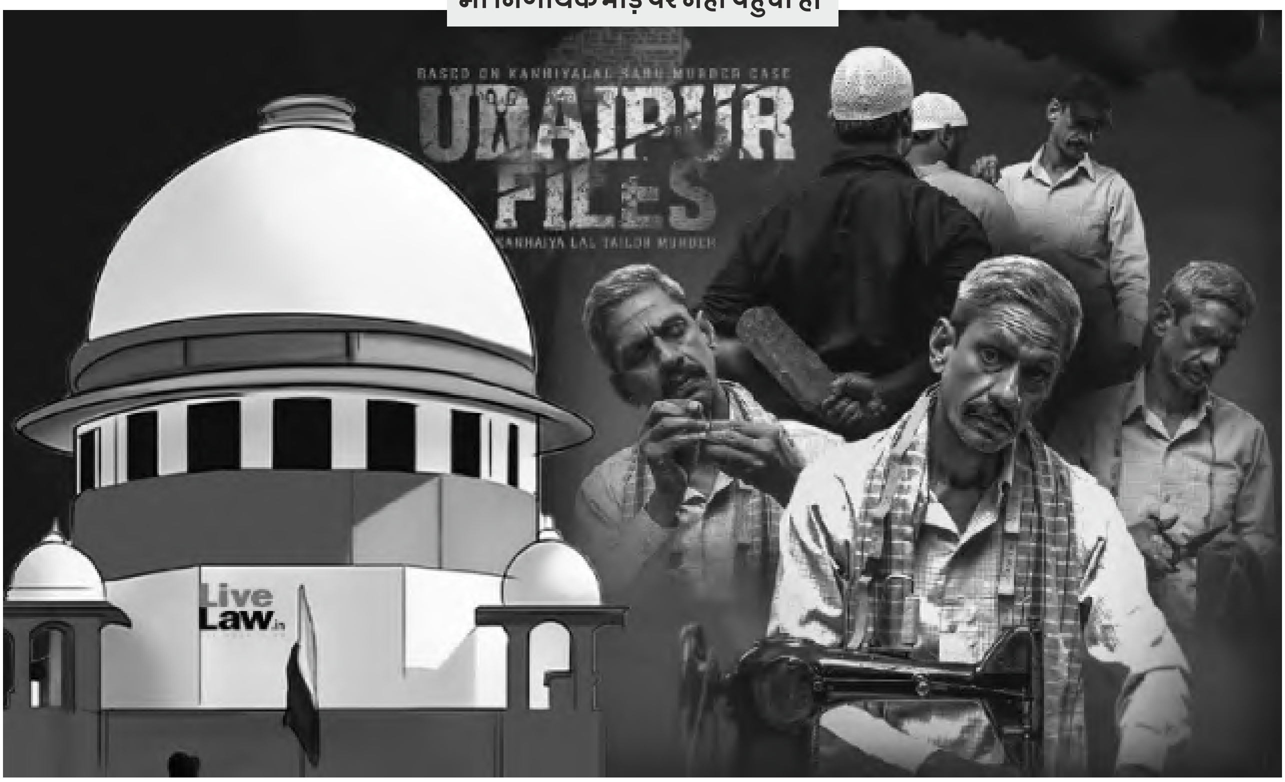

को भी यही जमीयत वकील उपलब्ध करवाती है। 2022 में जब अहमदाबाद धमाकों में 49 आतंकियों को दोषी ठहराया गया, तब भी उनके बचाव में जमीयत के वकील कोर्ट में मौजूद थे। यह कहकर कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, यह संस्था वर्षों से उन चेहरों को कानूनी सुरक्षा देती रही है, जिन पर दर्जनों लाशों का खून चिपका है और अब जब एक फिल्म उन आतंक की घटनाओं की मानसिकता को बेनकाब करने की कोशिश करती है, तो, यही संस्था कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उस पर रोक लगाने की मांग करती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या किसी संगठन को कोर्ट जाना चाहिए, या नहीं, सवाल ये है कि आखिर एक फिल्म से इतना डर क्यों ? किसे डर है कि कहीं सच सामने न आ जाए ? क्या ये वही सच है जिसे अदालतों में बरसों तक घसीटने की कोशिश की जाती है, लेकिन पर्दे पर आते ही असहनीय लगने लगता है? और जब ये संस्था एक फिल्म को 'सांप्रदायिक' बताकर उसे जनता तक पहुँचने से रोकने की कोशिश करती है, तो उसकी नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका अतीत सिर्फ इंसाफ की लड़ाई नहीं, कई बार सच्चाई को धुंधलाने की कोशिशों से भरा हुआ है।

कन्हैया लाल की हत्या का जो वीडियो सामने आया था, वह किसी भी सभ्य समाज की आत्मा को झकझोरने के लिए काफी था। दो युवक रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद उसकी दुकान में ग्राहक बनकर दाखिल होते हैं और धारदार हथियार से उसका गला रेत देते हैं। न सिर्फ यह कृत्य किया गया, बल्कि उसका प्रचार भी किया गया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और घोषणा की गई कि यह हत्या 'नबी के अपमान' के जवाब में की गई है। यह वही कट्टरपंथी विमर्श था, जो सर तन से जुदा के नारे लगवाता है। इसके बावजूद यह मुकदमा आज भी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुँचा है।

और इसी के समानांतर, 'उदयपुर फाइल्स' नाम की एक फिल्म जो उस कट्टर सोच की परतें उधेड़ना चाहती है, वह अदालत के आदेश पर रुक जाती है। न्यायिक व्यवस्था की यह दोगली प्राथमिकता स्पष्ट है एक ओर खून का वीडियो सार्वजनिक है, आरोपी जेल में हैं, सबूत पुख्ता हैं, लेकिन फैसला नहीं, दूसरी ओर एक फिल्म जो केवल सवाल उठाती है, उसे तीन दिन में प्रतिबंधित कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों की चुप्पी और भी शर्मनाक है। जो दल हर मौके पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडे लेकर सड़कों पर उतरते हैं कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी खेमे उनकी तरफ से इस फिल्म पर न कोई प्रतिक्रिया, न कोई बयान आया। क्या इसलिए कि कन्हैया लाल हिंदू थे ? या इसलिए कि यह मामला किसी विशेष वर्ग को 'असहज' कर सकता है? या इसलिए कि यह मुद्दा भाजपा के नैरेटिव को बल दे सकता है ? वजह चाहे जो हो, यह चुप्पी देश के राजनीतिक विमर्श की रीढ़ तोड़ देती है।

इससे पहले 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द केरल स्टोरी' जैसी फिल्मों पर भी यही तर्क दिए गए थे कि ये समाज में तनाव फैला सकती हैं। लेकिन वे फिल्में रिलीज हुईं, दर्शकों ने देखा, प्रतिक्रिया दी, बहस हुई और देश ने अपनी समझदारी से तय किया कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। लोकतंत्र का यही तो सौंदर्य है। लेकिन अगर हम हर असहज सच को 'सांप्रदायिक' बताकर उसका मुँह बंद करना शुरू कर दें, तो यह लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा होगा। कन्हैया लाल कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, न कोई आंदोलनकारी। वे एक आम नागरिक थे जो अपनी दुकान में बैठकर रोजी–रोटी कमा रहे थे। उनकी हत्या बताती है कि अब कट्टरपंथ सिर्फ सीमाओं तक नहीं, हमारे बाजारों, दुकानों और घरों तक घुस आया है। यह चेतावनी है कि अगर इस सोच को चुनौती नहीं दी गई, तो अगला निशाना कौन होगा, यह कोई नहीं जानता।

'उदयपुर फाइल्स' को रोकना एक फिल्म का नहीं, सच्चाई का गला घोंटना है। यह उन आवाजों को दबाने की साजिश है, जो कट्टरपंथ से सवाल करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक बहुत ही खतरनाक मिसाल बनाता है कि अगर किसी संगठन को कोई फिल्म पसंद न आए, तो वह कोर्ट जाकर उसे रुकवा सकता है, भले ही वह फिल्म कानून के हर पैमाने पर खरी उतरती हो। आज सवाल सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत अब सच के सामने खड़ा हो पाने का साहस खोता जा रहा है? क्या हम सिर्फ उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जो सुविधाजनक हों? क्या अब सच्चाई अदालतों के फैसलों की मोहताज हो गई है? सच को कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 'उदयपुर फाइल्स' भले अभी रुकी हो, लेकिन जिस दिन वह फिर सामने आएगी, तब सवाल और तीखे होंगे और जवाब देना और कठिन हो जाएगा। क्योंकि जब आप सच्चाई से भागते हैं, तो वो और तेजी से आपका पीछा करती है।

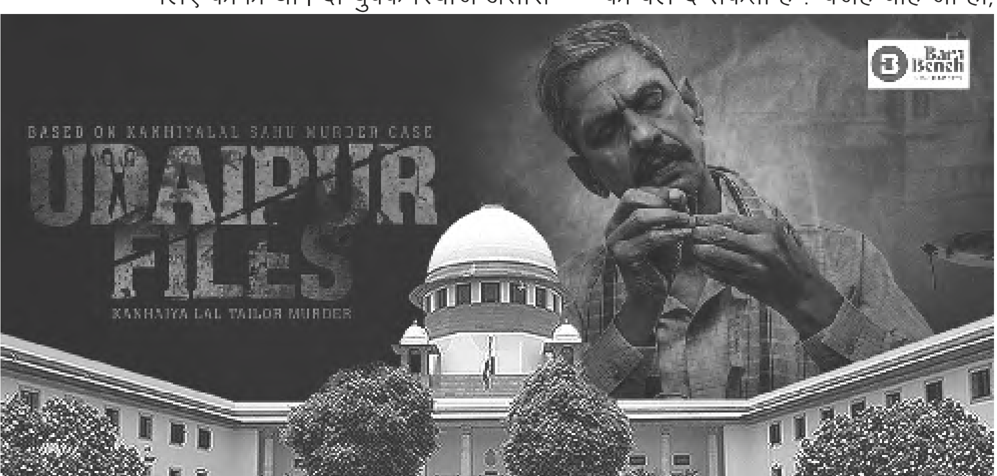

आहार में लाइए विविधता, रहिए स्वस्थ

यजुर्वेद संहिता में एक अति महत्वपूर्ण सूत्र है – शाकं फलं बहुविधं पृथक् तत धान्यानि वृत्त्या सह बीजजं च। बीजानि सर्वाण्यहितं विजह्युः, हिताशनं तेन सदा सुदृढच्यम्।। सर्वाणि धान्यानि यथाविधानि, वृक्षाः फलाढ्याः च तु सर्वभक्ष्याः। विविधाः कृषीणां प्रवराः सदा स्युः, आहारमिच्छन् सुदृढं जनाय।। तात्पर्य यह है कि शाक सब्जियाँ, फल और विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों का पृथक–पृथक सेवन करना हितकर है। अनाज और बीजों सहित जीवन को पोषण देने वाले आहार विविध पोषक खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। सभी हानिकारक या असंतुलित आहार को छोड़ देना चाहिए। विविधता युक्त आहार से सदैव अच्छा स्वास्थ्य और शारीरिक मानसिक सुदृढ़ता प्राप्त होती है। इस हेतु सभी प्रकार की धान्य प्रजातियाँ उचित रूप से उगाई जानी चाहिए। वृक्ष जो फलों से समृद्ध हैं और जिन्हें खाया जा सकता है, वे भी उगाए जाने चाहिए। विविध कृषि प्रणालियाँ हमेशा श्रेष्ठ मानी जानी चाहिए। इनसे चाहा गया ऐसा आहार प्राप्त होता है, जो सदैव सुदृढ़ शरीर प्रदान करता है। इसी बात को सूत्र रूप में कहें तो–

शाकफलविधिर्धान्यबीजसंयोगः।
विविधकृषयः फलवृक्षोपयोगः।
अहितत्यागः हिताहारविधानम्।
जीवनीयाय सदा विविधाहारः।

यजुर्वेद संहिता।

तात्पर्य यह है कि शाक और फलों की विविध प्रजातियों की उचित रूप से खेती और सेवन करना चाहिए। इस हेतु धान्य और बीजों का संयोजन, जिनसे खेतों में विविध फसलें उगाई जाती हैं, को विविध प्रकार की कृषि प्रणाली, जो भूमि और जलवायु के अनुसार होती है, किया जाना चाहिए। कृषि–कार्य में फल देने वाले वृक्षों का उपयोग, जिनसे पोषण मिलता है, करना चाहिए। शरीर को हानि पहुंचाने वाले हानिकारक आहार का त्याग और स्वास्थ्य के लिए उत्तम लाभकारी और पौष्टिक आहार को अपनाना चाहिए। हमेशा प्रजाति–विविधता युक्त पौष्टिक आहार, जो शरीर को स्वस्थ रखता है व शरीर के पोषण एवं जीवन के लिए आवश्यक है, खेतों में उगाना और प्रयोग करना चाहिए।

यजुर्वेद संहिता के अनुसार भोजन में सभी प्रकार के रस स्वाद होने चाहिए और यह भोजन हर दिन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। भोजन में मधुर–मीठा, आम्ल –खट्टा, लवण–नमकीन, तिक्त–कड़वा, कटु–तीखा और कषाय–कसैला, इन सभी स्वादों का समावेश स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। भोजन में प्रत्येक दिन 30 प्रकार की प्रजातियाँ होनी चाहिए, जो भोजन के पोषण और स्वाद को संतुलित करती हैं। हल्दी, जीरा और विशेष रूप से लहसुन का उपयोग भोजन में किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। दालचीनी, मेथी, लौंग और काली मिर्च, सोंठ का भी भोजन में समावेश हो, क्योंकि ये शरीर के लिए हितकर होते हैं। इलायची, छोटी पीपली आदि का प्रयोग और भोजन का घी के साथ संस्कार कर सेवन किया जाना चाहिए। ये भोजन को अधिक पौष्टिक और हितकारी बनाते हैं। चरक संहिता भी इस सन्दर्भ में स्पष्ट है कि सर्वरस भोजन बलकारक और एक–रस भोजन दौर्बल्यकारक होता है।

सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम,
एकरसाभ्यासो दौर्बल्यकराणां

च.सू. 25.40 अंश।

जहाँ तक फलों और सब्जियों का प्रश्न है, यजुर्वेद संहिता कहती है कि अनार, द्राक्षा और आँवला का प्रतिदिन सेवन लाभकारी है। सभी रंगों के फल और सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन सदैव लाभप्रद होता है। इसी प्रकार स्वस्थ व्यक्ति के लिए वातादक–बादाम, कर्कटक–काजू, अक्षोट–अखरोट, खर्जूर–खजूर, प्रियाल, अंजीर, बदर–बेर, और भूम्या–मूँगफली का सेवन उत्तम होता है। इन सभी पदार्थों का कुल एक मुट्ठीभर सेवन सभी को प्रतिदिन करना चाहिए। यह रोग– प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं और विभिन्न रोगों से बचाव करते हैं। वृक्षों से उत्पन्न होने वाले फलों और मेवों का सेवन सभी के लिए लाभकारी है, क्योंकि ये स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

यजुर्वेद संहिता में किसानों के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति खेतों में विभिन्न प्रकार के पौधे उगाता है, उनकी देखभाल करता है और फिर उन्हें खाता है, जो विविध प्रकार के आहार का सेवन करता है, वह निरंतर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करता है और साथ ही उसकी सभी इंद्रियों का बल भी बढ़ता है।

आहार विविधता में सम्मिलित कुछ ऐसे आहार हैं, जिन्हें नहीं खाएँ या कम खाएँ तो उचित है। पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, फिंगर चिप्स और मैगी की श्रेणियों में आने वाले खाद्य पदार्थों को अहितकारी माना जाता है और इनका सेवन कम मात्रा में ही होना चाहिए।

आहार–विविधता की आवश्यकता स्वास्थ्य और पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक समान भोजन पर निर्भरता से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। आज वैश्विक खाद्य आपूर्ति में केवल 200 से भी कम प्रजातियाँ योगदान करती हैं और मुख्य रूप से कुछ प्रधान फसलों पर अधिक निर्भरता हो गई है। इसका परिणाम यह है कि हमारे आहार ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों की कमी होती है। आहार विविधता के अभाव में विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण, मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ती हैं। प्रतिवर्ष लगभग 11 मिलियन लोग अस्वास्थ्यकर आहार के कारण समय से पहले मर जाते हैं। जैव–विविधता के ह्रास का सीधा असर यह होता है कि पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे फल, सब्जियाँ, नट्स और बीज आदि जो हमारे आहार में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, कम मिल पाते हैं। इसलिए आहार में विविधता सुनिश्चित करने से न केवल बेहतर पोषण मिलता है, बल्कि यह विभिन्न बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है।

षि में जैव–विविधता का ह्रास एक गंभीर संकट है, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव अस्तित्व के लिए सीधा संकट बनता जा रहा है। पिछले 100 वर्ष में भोजन में प्रयुक्त 75 प्रतिशत पौधों की आनुवांशिक विविधता खो गई है, क्योंकि किसान अधिक उपज देने वाली एक समान फसलों की ओर मुड़ गए हैं। आज सिर्फ 9 फसलें वैश्विक फसल उत्पादन का 66 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं, जिनमें चावल, गेहूँ और मक्का प्रमुख हैं, जो दुनियाँ की पौधों से प्राप्त कैलोरी का 50 प्रतिशत से अधिक प्रदान करते हैं। इस सीमित जैव–विविधता पर निर्भरता से खाद्य प्रणालियाँ जलवायु चरम सीमाओं, कीटों और बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो रही हैं।

(भारतीय धरोहर से साभार)

न्यूजीलैंड की हिंदू काउंसिल द्वारा हिंदू हेरिटेज सेण्टर में वार्षिक आम बैठक का आयोजन

रोटोरुआ, न्यूजीलैंड–द हिंदू काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड (HCNZ) ने 26 जुलाई 2025 को रोटोरुआ के हिंदू हेरिटेज सेंटर में सफलतापूर्वक अपना वार्षिक आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने देश भर से सदस्यों, सहयोगियों और समुदाय के नेताओं को एक साथ लाया। बैठक में परिषद की उपलब्धियों की समीक्षा, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा, अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि और हिंदू समुदाय तथा व्यापक न्यूजीलैंड समाज की सेवा करना अपना उद्देश्य बताया। बैठक में ऑकलैंड, वेलिंगटन और रोटोरुआ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परिषद की राष्ट्रीय पहुँच और समावेशी दृष्टिकोण। एजीएम में प्रस्तुतियाँ दी गईं। पिछले वर्ष में परिषद की प्रमुख पहल, जिनमें युवा जुड़ाव, अंतरधार्मिकता शामिल है। सहयोग, साँस्कृतिक उत्सव, शैक्षिक कार्यक्रम और सामुदायिक विकास परियोजनाएँ सम्मिलित हैं।

हिंदू काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड (एचसीएनजेड) की महासचिव नितिका शर्मा ने पिछले वर्षों में परिषद की यात्रा पर विचारशील प्रस्तुति, थीम पर बात की। एचसीएनजेड के मार्ग को पुनः जोड़ना और पुनः स्थापित करना, यह पहचानते हुए कि कई प्रतिभागी नए थे। संगठन के प्रति और इसकी जड़ों, दृष्टिकोण और इसके कार्य की व्यापकता को समझने के लिए उत्सुक थे। उसकी टिप्पणियों ने नए सदस्यों को उन्मुख करने और समावेशिता के प्रति परिषद की प्रतिबद्धता, विकास और निरंतरता की पुष्टि करने में मदद की।

अपने संबोधन में हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ गुना मगेसन ने परिषद पर जोर दिया। रोटोरुआ में हिंदू हेरिटेज सेंटर को मजबूत करने पर ध्यान जारी रखा, जो एक ऐतिहासिक पहल है। यह आध्यात्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का केंद्र बन गया है। सामुदायिक प्रभाव ने कई संगठनों का ध्यान आकर्षित किया है। कम से कम चार धर्मार्थ फंडिंग एजेंसियों ने या तो दौरा

किया है या दौरा करने में रुचि व्यक्त की है केंद्र, सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी के अवसर तलाश रहा है। "एजीएम केवल चिंतन का समय नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण रास्ता तय करने का अवसर है। डॉ. मैगेसन ने कहा कि हमारे प्रयास सेवा, एकता के शाश्वत मूल्यों और सांस्कृतिक गौरव, पर आधारित हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हिंदू आवाज बनी रहे। न्यूजीलैंड के विविध समाज सकारात्मक योगदान दें।

बैठक का मुख्य आकर्षण हिंदू के लिए रणनीतिक विस्तार की घोषणा थी। न्यूजीलैंड की परिषद इसमें रोटोरुआ और हैमिल्टन में नई शाखाओं का गठन शामिल है, हिंदू छात्र मंच, हिंदू महिला और हिंदू युवा पहल को मजबूत करना। राष्ट्रव्यापी, केंद्रीय और स्थानीय सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़ाव को गहरा करना सुनिश्चित करना। हिंदू समुदायों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व और समर्थन। न्यूजीलैंड की हिंदू परिषद के प्रत्येक प्रभाग ने इस दौरान अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यूजीलैंड की हिंदू परिषद ने संयुक्त रूप से नियुक्त किए गए डॉ. विनय करणम का स्वागत किया। महासचिव और मोनिका बंसल राष्ट्रीय टीम के लिए सहायक कोषाध्यक्ष हैं। हिंदू युवा और छात्र मंच ने कई नए पदाधिकारियों और नए सदस्यों का स्वागत किया। परिषद की पहलों का नेतृत्व और मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में भी शामिल हुए। आने वाला वर्ष उल्लेखनीय परिवर्तन हैं। साक्षी हेगड़े को हिंदू का समन्वयक नियुक्त किया गया। यूथ (ऑकलैंड) जबकि कोमल साहनी ने हिंदू यूथ के समन्वयक की भूमिका निभाई। (रोटोरुआ) दोनों हिंदू यूथ न्यूजीलैंड का हिस्सा होंगे। अबिरामी कालीबन को नियुक्त किया गया एनजेड हिंदू स्टूडेंट्स फोरम के अध्यक्ष और निखिल अनिल स्नेहा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया (राष्ट्रीय समूह)। जैसे–जैसे टीम का विस्तार होता जा रहा है, टीम को जोड़ते रहने का संकल्प लिया गया। एजीएम स्वयंसेवकों, युवा नेताओं की हार्दिक सराहना के साथ संपन्न हुई। क्षेत्रीय समन्वयकों को उनकी निरंतर सेवा और समर्पण के लिए धन्यवाद, जो लगातार आगे बढ़ रहा है।

हिंदू हेरिटेज सेंटर जिसने इस कार्यक्रम की मेजबानी की। रोटोरुआ और व्यापक बे ऑफ प्लेंटी क्षेत्र में साँस्कृतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक गतिविधियाँ। इसका उपस्थित लोगों द्वारा समुदाय और पहचान की मजबूत भावना को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की प्रशंसा की गई। हिंदू काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में हिंदू काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड (एचसीएनजेड) एक है। वह संगठन जो 25 वर्षों से अधिक समय से न्यूजीलैंड समुदाय को प्रेरणा दे रहा है। हिंदू धर्म और वसुधैव के आदर्श से प्रेरित गतिशील, जीवंत हिंदू समाज कुटुंबकम (विश्व एक परिवार है)।

ग्लोबल हिंदू में आजीवन योगदान के लिए कीवी भारतीय को WHEF 2025 में सम्मानित किया गया

एडिलेड में आयोजित विश्व हिंदू आर्थिक मंच (डब्ल्यूएचईएफ) 2025 के एक चल समारोह में लंबे समय से कार्यरत कार्यकारी प्रतिनिधियों के चुनिंदा समूह को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। वैश्विक हिंदू आर्थिक आंदोलन के प्रति समर्पण विशिष्ट प्राप्तकर्ताओं में से एक था। न्यूजीलैंड के अपने प्रोफेसर गुना मैगेसन, एक दशक से अधिक की अथक सेवा के लिए पहचाने जाते हैं और WHEF के भीतर नेतृत्व करते हैं। प्रोफेसर मैगेसन को उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

'हम ईमानदारी से आपकी असाधारण प्रतिबद्धता और अटूट समर्थन को स्वीकार करते हैं। विश्व हिंदू आर्थिक मंच का मिशन सर्वाधिक सँख्या में आपकी सक्रिय भागीदारी। 13 वर्षों से अधिक के वैश्विक सम्मेलन एक मजबूत वैश्विक हिंदू के निर्माण के प्रति आपके समर्पण को दर्शाते हैं। आपका स्थायी समर्थन WHEF के 'मेकिंग' दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है। समाज समृद्ध हो।' हम आपकी प्रेरक यात्रा और इसके साथ निरंतर जुड़ाव का सम्मान करते हैं। प्रमाण पत्र वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक के संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद द्वारा प्रस्तुत किए गए। फोरम, निम्नलिखित अनुभवी प्रतिनिधियों को –

- ✓ श्री अशोक चौगुले (भारत)
- ✓ श्री सुशील सराफ (थाईलैंड)
- ✓ प्रोफेसर जी. एन. मैगेसन (न्यूजीलैंड)
- ✓ श्री नंद किशोर राठी (हांगकांग)
- ✓ श्री वी. के. रेगू (मलेशिया)
- ✓ श्री दातो बी. सहदेवन (मलेशिया)
- ✓ श्री श्रीराज नायर (भारत)
- ✓ श्री प्रेम सिंह रावत (भारत)
- ✓ डॉ. मनोज मोटवानी (हांगकांग)
- ✓ श्रीमती छाया नंजप्पा (भारत)

एडिलेड सभा ने एक शक्तिशाली संदेश गूँजाया – WHEF की ताकत इसी में निहित है। कार्यकर्ता निःस्वार्थ स्वयंसेवक और पेशेवर जिनके लगातार प्रयासों ने आकार लिया है और आंदोलन को कायम रखा।

विश्व हिंदू आर्थिक मंच एक आयोजन से कहीं अधिक है – यह एक वैश्विक आंदोलन है। स्वामी विज्ञानानंद ने कहा 'आर्थिक समृद्धि (आर्थिक समृद्धि) की भावना।' 'आज, हम उन लोगों का सम्मान करें जिनका दृढ़ योगदान हमारी सामूहिक दृष्टि को मजबूत करने में जारी है। उनकी वफादारी, समर्पण और सेवा हमें याद दिलाती है कि स्थायी प्रभाव निरंतर कार्रवाई और निस्वार्थता पर बनता है।'

मान्यता समारोह ने सेवा के उत्सव और सांझा की पुनः पुष्टि दोनों के रूप में कार्य किया। उद्देश्य–आर्थिक सहयोग, मूल्यों–संचालित के माध्यम से हिंदू पेशेवरों को एकजुट करना। नेतृत्व और वैश्विक एकजुटता। 'यह एक शक्तिशाली क्षण है, जो, हमारे समुदाय की पहुँच, एकता और लचीलेपन को उजागर करता है', कार्यक्रम के मेजबान ने कहा। 'ये नेता सेवा–निःस्वार्थ सेवा–और स्थायी मूल्यों का उदाहरण देते हैं, हमारे धर्म का।'

आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक वैश्विक आंदोलन अपनी स्थापना के बाद से, WHEF ने हांगकांग सहित प्रमुख शहरों में प्रभावशाली वैश्विक सम्मेलनों की मेजबानी की है।

कोंग (2012), बैंकॉक (2013 और 2023), नई दिल्ली (2014), लंदन (2015), लॉस एंजिल्स (2016), नैरोबी (2017), शिकागो (2018), मुंबई (2019 और 2024), और अब एडिलेड (2025)। इन सभाएँ हिंदू उद्यमियों, उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों और पेशेवरों को एक साथ लाती हैं। सहयोग के माध्यम से विश्व स्तर पर समृद्ध हिंदू समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। सेवा और वैश्विक प्रभाव के लिए प्रतिबद्ध जीवन 2014 में, प्रोफेसर मैगेसन ने प्रोफेसर और प्रमुख के पद से जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली। फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विज्ञान भारत में स्वैच्छिक सेवा का एक वर्ष समर्पित करेगा।

उस दौरान उन्होंने विश्व हिंदू आर्थिक मंच के मानद सीईओ के रूप में कार्य किया और एक भूमिका निभाई। नई दिल्ली में उद्घाटन विश्व हिंदू कॉंग्रेस (डब्ल्यूएचसी) के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 60 से अधिक देशों के 1,800 से अधिक प्रतिनिधियों की मेजबानी की। तब से प्रोफेसर मैगेसन अक्सर यात्रा करते हुए, WHEF आंदोलन की आधारशिला बने हुए हैं। रणनीतिक योजना और ऑन–साइट समर्थन के लिए वैश्विक सम्मेलनों से एक महीना पहले समन्वय।

hindu.nz@gmail.com

अवैध धर्मांतरणकारी गैंग को बचाने से बाज आए काँग्रेसी क्रिश्चियन गठजोड़ : विहिप'

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों के अवैध धर्मांतरण के एक और मामले के प्रकाश में आने के बाद सक्रिय काँग्रेसी क्रिश्चियन इकोसिस्टम जिस प्रकार लगातार मानव तस्करी में लिप्त दो ननों और उनके एक और सहयोगी को बचाने और उनको कानूनी चंगुल से छुड़ाने में सक्रिय है, वह बेहद निंदनीय व चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नारायणगढ़ की तीन आदिवासी लड़कियों के साथ दो नन पाई गईं। संदेहास्पद गतिविधियों के कारण दुर्ग रेलवे स्टेशन पर स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने मानव तस्करी तथा अवैध धर्मांतरण के आरोप में उन दोनों ननों को पकड़ लिया। ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। पहले भी कई बार चर्च के ऊपर अवैध धर्मांतरण व मानव तस्करी के आरोप लगे हैं। 2018 में रांची के निर्मल हृदय आश्रम से 280 बच्चे गायब होने का समाचार भी प्रकाश में आया था।

सेवा की आड़ में कई प्रकार की अवैध गतिविधियाँ अवैध धर्मांतरण चर्च के द्वारा पहले भी होते रहे हैं। जब भी ये पकड़े जाते हैं, चर्च हमेशा हिंदू संगठनों पर आरोप लगाता रहा है कि वे इनको जबरन फंसा रहे हैं। किंतु हर बार उनके अपराध सिद्ध हुए हैं। एक बार तो उनके झूठे आरोपों पर गृह मंत्रालय ने जांच भी की थी और यह पाया था कि हिंदू संगठनों पर आरोप झूठे हैं और चर्च ही अपराधों में लिप्त है।

डॉ. जैन ने कहा कि जब भी चर्च को अवैध गतिविधियों में पकड़ा जाता है, संपूर्ण हिंदू विरोधी इकोसिस्टम उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। राहुल गाँधी और वेणुगोपाल जैसे काँग्रेसी नेता उनके साथ खड़े हो गए हैं। हद तो तब हो गई जब ना सिर्फ कल संसद परिसर में कुछ काँग्रेसी सांसदों ने इन आरोपी ननों के पक्ष में प्रदर्शन किया, अपितु केरल के कुछ सांसद व राजनेता इन धर्मांतरणकारी व मानव तस्करी के आरोपियों के साथ खड़े होकर छत्तीसगढ़ सरकार पर उन्हें छोड़ने का दबाव बनाने रायपुर पहुँच गए।

इसकी बजाय वे कहते कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और यदि अपराधी हैं, तो इनको सजा मिलनी चाहिए, अपराध उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है।

डॉ. जैन ने चर्च के एक बिशप के इस बयान पर कि नन और पादरियों को अपनी परंपरागत वेश को छोड़, अपने सामान्य कपड़ों में यात्रा करनी चाहिए, उन्होंने पूछा कि वे क्यों छुपाना चाहते हैं अपनी पहचान को ? मन में चोर है ? मन में पाप है, तभी वे छिपाने का प्रयास करते हैं ! हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि वे सेवा की आड़ में अवैध धर्मांतरण और अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियों से अपने आप को बचाएँ। आपको धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, अवैध गतिविधियों की नहीं।

वे चर्च में जाएँ, कौन रोकता है ! क्यों दुराग्रह करते हैं हिंदू बस्तियों में धर्मांतरण हेतु जाने का ! सेवा की आड़ में धर्मांतरण क्यों करते हैं ! मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे मुस्लिम बस्तियों में धर्मांतरण का प्रयास करें, तो परिणाम ध्यान में आएगा। हिंदू उदार है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने समाज के लोगों को अवैध रूप से धर्मांतरित होने देगा और अपनी बच्चियों और महिलाओं के साथ इस प्रकार के अनाचार होने देगा।

उन्होंने कहा कि केरल के लोगों को चाहिए कि वे अपने यहाँ से आने वाली ऐसी ननों को कहें कि वे अपने धर्म का पालन करें, किसी अवैध गतिविधियों या मानव तस्करी में ना लगें। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के कारण केरल की महान सँस्कृति पर वे प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। वहाँ के नेताओं को तो उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए।

हम भारत के सभी राजनेताओं और समाजशास्त्रियों से निवेदन करते हैं कि वे चर्च को इन अवैध गतिविधियों से रोकने के लिए दबाव बनाएँ और केंद्र सरकार से हम पुनः आग्रह करते हैं कि वह धर्मांतरण विरोधी केंद्रीय कानून बनाए, जिससे हमारी बच्चियों, समाज और भोले–भाले अन्य हिंदू इनके कुटिल षड्यंत्रों के शिकार ना बन सकें।

vhpintlhqs2@gmail.com

विहिप प्रतिनिधि मण्डल की केन्द्रीय गृहमंत्री से भेंट

पाकिस्तान से आए हिन्दू शरणार्थियों पर बातचित

विश्व हिन्दू परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान से आए हिन्दू शरणार्थियों व अन्य विषयों के लिए विहिप के केंद्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में शनिवार 26 जुलाई को देश के माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह (@AmitShah) से भेंट की। भारत सरकार ने निर्णय किया कि पाकिस्तान से आए सभी शरणार्थियों के Long Term Visa (LTV) समाप्त माने जाएंगे और सभी को इसके लिए दोबारा आवेदन करने के लिए कहा गया है। यह आवेदन ऑनलाइन करने थे, जिसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई थी। विहिप और अन्य संगठनों के प्रयास के बावजूद अधिकतर हिन्दू शरणार्थियों के गरीब व अशिक्षित होने के कारण वह समय से इसके लिए आवेदन नहीं कर पाए। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से निवेदन किया कि इसके लिए 3 माह का समय बढ़ा दिया जाए।

LTV के आवेदन के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है। बहुत सारे हिन्दू शरणार्थियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट समाप्त हो गए हैं और इनको इसके नवीकरण के लिए कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग इसमें सहायता नहीं करता है और इससे पाकिस्तान में रह रहे उनके रिश्तेदार भी निशाने पर आ जाते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने यह आग्रह किया कि पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए।

LTV नवीकरण के लिए पुराने वीजा की अवधि में ही नए वीजा के लिए आवेदन करना जरूरी है। अनेक हिन्दू शरणार्थी इस अवधि के दौरान आवेदन नहीं कर पाए। @VHPDigital के प्रतिनिधि मंडल ने इस शर्त को समाप्त करने का भी आग्रह किया। गृहमंत्री जी ने सभी बातें सहानुभूतिपूर्वक सुनीं और इन विषयों पर सहायता का आश्वासन दिया।

पाकिस्तान से आये इन हिन्दू शरणार्थियों की सहायता के लिए जैन समाज के मानव मंदिर के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। मानव मंदिर से आई पूज्य साध्वी समता श्री जी ने गृहमंत्री जी से कहा कि ऐसे अनेक शरणार्थी दिल्ली के मंजनू के टीला के पास रहते हैं, जो यमुना बाढ़ क्षेत्र में है। उच्च न्यायालय ने इसे खाली कराने के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रयत्न करेगी कि इनको वैकल्पिक स्थान मिलने तक यहाँ से न हटाया जाए।

प्रतिनिधि मंडल में विहिप के केंद्रीय सहमंत्री श्री मनोज वर्मा ने गृहमंत्री जी से CAA की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो हिन्दू शरणार्थी पाकिस्तान से भाग कर भारत आये हैं, उनके पास दस्तावेजी प्रमाण नहीं होते हैं। अतः सरकार कुछ प्रामाणिक हिन्दू सँस्थाओं की निश्चिती करे, जो आवेदक के बारे में जानकारी करके सत्यापित करें कि वह पाकिस्तान से आया हुआ हिंदू शरणार्थी है। ऐसे सत्यापन को सरकार स्वीकार करे। गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वह इस प्रार्थना पर विचार करेंगे।

प्रतिनिधि मंडल ने गृहमंत्री जी को ध्यान कराया कि विदेशों में रहने वाले अफगान नागरिकों को भारत में आने के लिए वीजा मिलने में कठिनाई होती है। अफगान हिन्दू अपने मृतकों के अस्थि प्रवाह माँ गंगा जी में करते हैं। वह भारत में तीर्थ यात्रा के लिए भी आना चाहते हैं। भारत उनकी पुण्य भूमि है। इसलिए विदेशों में रह रहे हिन्दू अफगान नागरिकों को भारत यात्रा के लिए वीजा सुगमता से दिया जाना चाहिए।

प्रतिनिधि मंडल में विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार, सहमंत्री श्री मनोज वर्मा, परिषद के पुराने कार्यकर्ता श्री स्वदेशपाल गुप्ता, मानव मंदिर की साध्वी समताश्री और पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए लड़ रहे वकील श्री वैभव सैनी और दिविता दत्ता भी शामिल थे।

murari.shukla@gmail.com

सभी हिन्दू सहोदर हैं यह संतों का उद्घोष है : श्री विनायक राव जी देशपांडे

विदिशा। विगत 22 जुलाई को विदिशा के रविन्द्र नाथ टैगोर ऑडिटोरियम में विश्व हिन्दू परिषद के तत्वावधान में समरसता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय सह संगठन महामंत्री श्री विनायक राव देशपांडे ने कहा कि सभी हिन्दू सहोदर भाई–भाई हैं। यह उद्घोष 1969 में उडुपी में विहिप द्वारा आयोजित धर्मसंसद में देश के प्रमुख संतों ने दिया था। उन्होंने कहा कि 1994 में काशी में हुई धर्म संसद का निमंत्रण डोम राजा को देने पूज्य संत ना सिर्फ स्वयं चलकर गए, बल्कि उनके घर का प्रसाद ग्रहण किया तथा अगले दिन डोम राजा धर्म संसद के अधिवेशन में संतों के मध्य बैठे और संतों ने उन्हें पुष्प हार पहनाकर स्वागत किया। इस धर्म संसद में 3500 संत उपस्थित थे। वनवासी, जनजाति, अति पिछड़ी व पिछड़ी जाति के हजारों लोगों को ग्राम पुजारी के रूप में प्रशिक्षण देकर उनका समय–समय पर अभिनन्दन व मंदिरों में पुरोहित के रूप में नियुक्ति, विहिप के ग्राम पुजारी प्रशिक्षण अभियान के कारण ही संभव हुई। 1989 में श्रीराम जन्मभूमि का शिलान्यास एक अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता कामेश्वर चौपाल द्वारा कराए जाने का श्रेय भी विहिप को ही जाता है, साथ ही उन्होंने बताया कि स्वयं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि भारत में रहने वाली कई पिछड़ी जातियों और सवर्ण जातियों के गोत्र एक हैं इसका आशय है कि पूर्व के कालखंड में ये सभी एक पिता की संतान थीं।

श्री देशपांडे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जब दलित वाल्मीकि जातियों पर शोध कराया, तो अध्ययन में आया कि वाल्मीकि समाज हिन्दू धर्म के वे धर्म योद्धा हैं, जिन्होंने मुगल काल में पराजय के पश्चात मैला ढोना स्वीकार किया, परंतु धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए ऐसे बंधुओं को धर्म योद्धा के रूप में प्रणाम करना चाहिए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रिटायर्ड शिक्षक श्री नवनीत राम जी दिवाकर ने कहा कि विहिप उस मार्ग का निर्माण कर रही है, जिस पर सभी एक साथ चल सकेंगे, कोई ऊंच–नीच का भेद नहीं रहेगा, सभी के लिए एक जल स्थान, एक देव स्थान और मरणोपरांत एक श्मशान सुलभ उपलब्ध हो। वास्तव में समरसता के लिए इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है ?

कार्यक्रम के विशेष अतिथि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एण्ड एचओडी डॉ. राज किशोर सिंह शाक्य ने कहा कि मैं विहिप के प्रयासों को प्रणाम करता हूँ कि वे इस देश में सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कार्यरत हैं। कार्यक्रम को वाल्मीकि समाज के चौधरी राजेन्द्र जी गौहर ने भी संबोधित किया। इस दौरान मंच पर प्रांत संगठन मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह चौहान, प्रांत सह मंत्री मलखान सिंह ठाकुर, प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख सुनील यादव, जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह जी बघेल, उपाध्यक्ष विनोद जी शास्त्री भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विभाग सह मंत्री चंद्रभान सिंह बघेल ने किया तथा आभार प्रांत सह मंत्री मलखान सिंह ठाकुर ने व्यक्त किया।

vhpmadhybharat@gmail.com

हरिद्वार के सुप्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में अचानक हुई भगदड़ की दुर्घटना में घायलों का हालचाल लेने पहुंचे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्री चंपत राय जी। उन्होंने एम्स की डायरेक्टर डॉ. मीनू सिंह तथा अन्य डॉक्टरों से भी मुलाकात की

न्यूजीलैंड की हिंदू काउंसिल द्वारा हिंदू हेरिटेज सेण्टर में वार्षिक आम बैठक का आयोजन

राजनंदगाँव में छत्तीसगढ़ प्रांत के तीन दिवसीय बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में शिक्षार्थियों के साथ उपस्थित विहिप क्षेत्र संगठन मंत्री जितेन्द्र सिंह पवार तथा प्रांत के पदाधिकारी

"LPC DELHI, DELHI PSO, DELHI RMS, DELHI-6

email:hinduvishwa@gmail.com
website: www.vhp.org

Postal Regd. No. DL-SW-01/4031/24-26
समाचार पत्र पंजी. सं. 68516/98
प्रकाशन तिथि : 13.08.2025
प्रेषण तिथि : 14-15 (अग्रिम-पाक्षिक)

प्रकाशक व मुद्रक हरिशंकर द्वारा सचिव, साहित्य एवं दृक्श्राव्य सेवा न्यास की ओर से 'रॉयल प्रेस' बी–82, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस–1, नई दिल्ली–110020 से छपवाकर संकटमोचन आश्रम, सेक्टर–6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय शंकर तिवारी